

» कृषि

» समीक्षा

» मुद्दा

कुल पृष्ठ: 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/-रु.

माघ-फाल्गुन 2075, फरवरी 2019

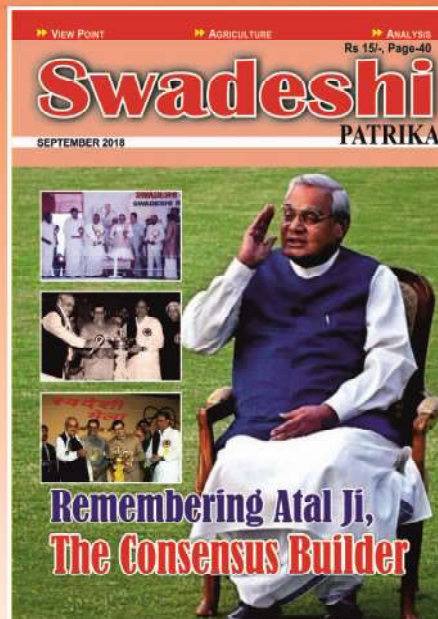
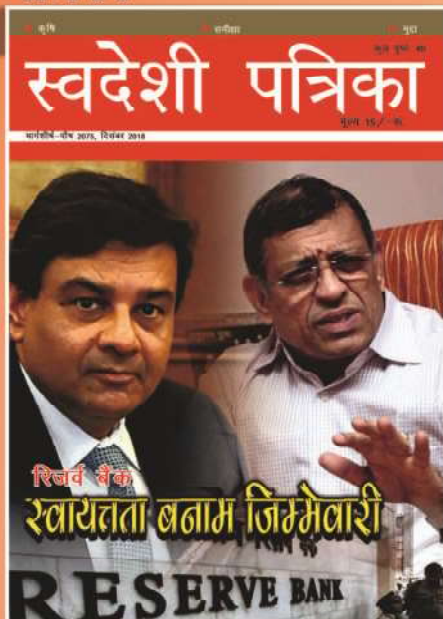


VOICE OF

SELF RELIANT INDIA

स्वदेशी

पत्रिका



SWADESHI

Patrika

वार्षिक सदस्यता (Annual Subscription) :

150/-

आजीवन सदस्यता (Life Membership) :

1500/-

For subscription please send payment by A/c payee

Cheque/Demand Draft/Money Order

in favour of 'Swadeshi Patrika' at New Delhi, or Deposit the subscription amount in

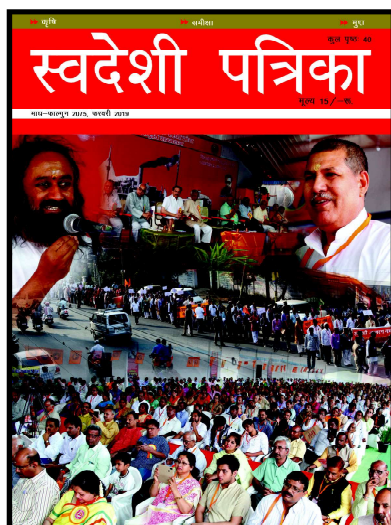
Bank of India, A/c No. 602510110002740,

IFSC: BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

Kindly write your full name and address in capital letters.

*If you do not receive any issue of Swadeshi Patrika, kindly e-mail us immediately
or contact Sh. Suraj Bhardwaj (9899225926)*

पढ़ें और पढ़ायें



वर्ष-27, अंक-2
माघ-फाल्गुन 2075 फरवरी 2019

संपादक
अजेय भारती

सह-संपादक
अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर-8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली-110022
से प्रकाशित

दूरभाष : 011-26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर
दास महाजन द्वारा कॉम्पिटेन्ट बाइन्डर्स
(प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली-32
से मुद्रित।

पाठकनामा/उन्होंने कहा 4
समाचार परिक्रमा 34-38



तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

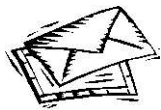
आवरण कथा - पृष्ठ-6

स्वदेशी जागरण मंच का 13वां राष्ट्रीय सम्मेलन

स्वदेशी संवाद



- 1 मुख्य पृष्ठ
- 2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ
- 15 बजट समीक्षा
गांव और गरीब के लिए बजट
..... डॉ. अश्वनी महाजन
- 17 बजट समीक्षा
आम आदमी का बजट-2019-20
..... डॉ. विजय वशिष्ठ
- 19 आकलन
वे परियोजनाएं जो मील का पत्थर बनीं
..... अनिल तिवारी
- 22 खेतीबारी
किसानों के लिए पैसा कहां से आएगा
..... देविन्दर शर्मा
- 24 विचार
नयी तकनीकों में निवेश की जरूरत
..... डॉ. भरत झुनझुनवाला
- 26 समीक्षा
गांवों के विकास पर जोर
..... डॉ. सूर्यप्रकाश अग्रवाल
- 28 सुदृढ़
राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़
..... निरंकार सिंह
- 31 तकनीक
भारत में एआई संचालित आधार एवं अनुसंधान की आवश्यकता (भाग-2)
..... डॉ. रेखा भट्ट
- 38 बजट
बजट 2019 - एक नजर में



पाठकनामा

किसानों को कीमत नहीं, आय चाहिए

स्वदेशी पत्रिका का जनवरी 2019 अंक मिला। विकास के लिए सुदृढ़ वित्तीय आधारभूत संरचना के साथ-साथ जनता के लिए आर्थिक सुधारों की जरूरत पर बेबाक टिप्पणी पढ़ने को मिली। किसान की समस्या पर नई सोच की जरूरत के साथ-साथ 'किसानों को कीमत नहीं, आय चाहिए' विषयक लेख दृष्टि प्रदान करता है। मालूम हो कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना, गुरुनानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर द्वारा कराये गये एक अध्ययन में पता चला है कि पंजाब में पिछले 17 वर्षों में लगभग 17 हजार किसानों ने आत्महत्या की है। यानि कृषि में अग्रणी राज्य पंजाब में प्रतिवर्ष एक हजार किसानों और कृषि मजदूरों ने यह कदम उठाते हुए अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।

पंजाब के खेतों में मृत्यु का नाच निरंतर जारी है। अनुमान है कि पंजाब के प्रति तीन में से एक किसान गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहा है। गौरतलब है कि परिवार के अकेले कमाऊ व्यक्ति के चले जाने के बाद उस परिवार की हालत बेहद नाजुक हो जाती है। मुझे हैरानी होती है यह सब सुनकर, पढ़कर कि पंजाब को खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है, वहीं इलाका आज किसानों की आत्महत्या की क्यारियों में कैसे तबदील हो गया है। यहां के 90 फीसदी किसान ग्रामीण परिवार कर्ज में दबे बताये जाते हैं। किसी अर्थशास्त्री ने कहा था कि भारत में किसान कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में ही जीता है और अपने बच्चों के सिर पर कर्ज की एक बड़ी रकम छोड़कर इस दुनिया से विदा होता है। तब की कही गई बात पंजाब के किसानों पर 21वीं सदी में भी चरितार्थ हो रही है।

जयेन्द्र मिश्र, लक्ष्मीपुर, बलिया, उत्तर प्रदेश

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

“धर्मक्षेत्र” शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर-8, रामकृष्णपुरम्,
नयी दिल्ली-110022

दूरभाष : 011-26184595 • ई-मेल:

swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क 'स्वदेशी पत्रिका' दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्क: 15,00 रुपए

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

यदि शुल्क जमा करने के उपरान्त भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

कहा-अनकहा



भारत दुनिया के सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का समर्थक है। हमें चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी क्षमताओं में लगातार मजबूती लाने की जरूरत है।

— रामनाथ कोविंद (राष्ट्रपति, भारत)



भारत संतों की भूमि रही है। हमारे संतों ने अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से सद्भावना, समानता और सामाजिक सशक्तिकरण का बेजोड़ संदेश दिया है।

— नरेंद्र मोदी (प्रधानमंत्री, भारत)



एक साधारण उत्पाद आलू और उससे बने चिप्स को देखें। आलू हमारे देश में पैदा होता है, यहीं चिप्स बनाये जाते हैं और यहीं के बाजार में उसकी खपत की जाती है। ताज्जुब की बात है कि इस उत्पाद का पैसा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मार्फत विदेश जाता है।

— श्री श्री रविशंकर महाराज (आध्यात्मिक गुरु)



जॉर्ज फर्नांडीज एक महामानव थे। असीम ऊर्जा, उत्साह से लबालब देशभक्त, शानदान वक्ता, सोख्ता कागज की तरह असंदिग्ध मुद्दों को अवशोषित करने वाला एक वास्तविक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति जिसने भारतीय युवाओं के लिए एक मिशाल कायम की।

— एस.गुरुमूर्ति (सदस्य, आरबीआई बोर्ड)



मैं अपने पड़ोसी दुकानदार को जानता हूं.. मैं उनके परिवार को जानता हूं। मुझे नहीं मालूम कि अमेजन कौन है, फ्लिपकार्ट कौन है। इन दोनों संस्थाओं के अस्तित्व के लिए मैं अपने देश की आजीविका को जोखिम में नहीं डाल सकता।

डॉ. अश्वनी महाजन

सहसंयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

क्या मोनसेंटो जीती? शायद नहीं, मुकदमा अभी बाकी है

गत 8 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने बीटी कपास के बीज पर मोनसेंटो नाम की विदेशी कंपनी के पेटेंट संबंधी अधिकार के बारे में एक फैसला दिया। जहां एक ओर मोनसेंटो कंपनी इस फैसले को अपनी जीत बता रही है, तो दूसरी ओर उसकी प्रतिपक्षीय भारतीय कंपनी 'नजीविडू सीड्स' ने एक बयान जारी कर कहा है कि यह फैसला मोनसेंटो कंपनी की जीत नहीं दर्शाता है। इस कंपनी का कहना है कि वास्तव में इस फैसले के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पेटेंट कानून और प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फारमर्स राइट्स एक्ट (पीपीवीएफआरए) को एक बार फिर सही ठहराया है और यह कहा है कि मोनसेंटो कंपनी को पेटेंट दिए जाने के संबंध में इस बात की जांच करनी होगी कि क्या भारतीय कानूनों के अंतर्गत उसे बीज पर पेटेंट दिया जा सकता है अथवा नहीं।

नजीविडू सीड्स नाम की कंपनी को मोनसेंटो कंपनी ने लाईसेंस देकर बीटी कपास बीज का उत्पादन करने का अधिकार दिया था। इसके बदले नजीविडू सीड्स मोनसेंटो कंपनी को रॉयल्टी प्रदान करती थी। यह पता लगने पर कि मोनसेंटो कंपनी के पास बीटी कपास का वैध पेटेंट नहीं है, नजीविडू सीड्स ने मोनसेंटो कंपनी को रॉयल्टी देने से इंकार कर दिया। इसके चलते मोनसेंटो कंपनी ने एकतरफा तौर पर नजीविडू सीड्स के साथ अपना करार तोड़ दिया और उससे रॉयल्टी वसूलने हेतु मुकदमा दायर किया। नजीविडू सीड्स इस मुकदमे में मोनसेंटो कंपनी से जीत गई और उसके बाद यह मुकदमा आगे चलते-चलते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। चूंकि मोनसेंटो कंपनी अनाधिकृत रूप से रॉयल्टी वसूल कर रही थी, जिसके कारण किसानों पर भारी दबाव बन रहा था, तो ऐसे में भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने मोनसेंटो की मनमानी रॉयल्टी को कम करने का निर्णय किया और अंततोगत्वा उसकी रॉयल्टी को घटाकर 49 रुपए प्रति पैकेट तक कम कर दिया। गौरतलब है कि इस छोटी सी तकनीक के बदले में मोनसेंटो कंपनी अभी तक 7000 करोड़ रुपया भारतीय किसानों से वसूल कर चुकी है।

भारत का पेटेंट कानून बीज, जीवन और जानवरों पर पेटेंट को प्रतिबंधित करता है। भारतीय पेटेंट कानून, 1970 और उसमें 2005 में किए गए संशोधनों के साथ धारा 3जे के अनुसार यह प्रावधान है कि बीज, जीवन और जानवर पर पेटेंट नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा भारतीय कृषि और किसान के बचाव हेतु उनके अधिकारों को सुरक्षित करते हुए पीपीवीएफआरए के अनुसार किसानों को बीज उत्पादन, बिक्री एवं हस्तांतरण का अधिकार प्रदत्त किया गया है। पीपीवीएफआरए में यह भी प्रावधान है कि चूंकि पेटेंट कानून के हिसाब से बीज का पेटेंट नहीं हो सकता और इस संबंध में तकनीक विकसित करने वालों को सुरक्षा देने हेतु उन्हें कुछ मुआवजा मिलने का प्रावधान जरूर किया गया है। लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि यदि पेटेंट कानून में कुछ अस्पष्टता हो तो पीपीवीएफआरए के प्रावधान लागू होंगे। यानि किसी भी हालत में बीज पर पेटेंट नहीं हो सकेगा, लेकिन कृषि तकनीक विकसित करने वालों को मुआवजा देकर उसकी सुरक्षा की जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में दिल्ली हाई कोर्ट के एक बेंच के उस फैसले को निरस्त किया है जिसमें बेंच ने मोनसेंटो कंपनी के पेटेंट को निरस्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चूंकि बेंच ने बिना पूरी सुनवाई किए पेटेंट निरस्त कर दिया था, इसलिए वह फैसला सही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इससे पूर्व के दिल्ली हाई कोर्ट के एकल जज के फैसले को बहाल किया जाता है, लेकिन इस बावत फैसला करने हेतु कि मोनसेंटो कंपनी को बीटी कपास का पेटेंट दिया जा सकता है, इस सुनवाई को आगे जारी रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि इस बावत भारतीय पेटेंट कानून और उसकी धारा 3जे और पीपीवीएफआरए के प्रावधानों के अनुसार फैसला लिया जाए कि क्या मोनसेंटो कंपनी को बीटी कपास बीज का पेटेंट दिया जा सकता है?

यानि कहा जा सकता है कि एक बार मुकदमा वापिस हाई कोर्ट के एकल जज के पास पहुंच गया है और अब उसमें फैसला देश के कानून के अनुसार लिया जाएगा। इसलिए प्रेस मीडिया में छपी उन खबरों में सत्यता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने मोनसेंटो कंपनी के बीटी कपास का पेटेंट बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह भी कहा गया है कि मोनसेंटो कंपनी द्वारा नजीविडू सीड्स के लाईसेंस को रद्द करना भी न्यायसंगत नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मोनसेंटो कंपनी द्वारा लाईसेंस फीस सरकार की वैधानिक कीमत पद्धति के अनुसार ही हो सकती है, यानि कंपनी के पास कीमत निर्धारण का असीमित अधिकार नहीं है।



स्वदेशी जागरण मंच का 13वां राष्ट्रीय सम्मेलन 18-20 जनवरी 2019 (मदुरै, तमिलनाडू)

दिनांक 18 जनवरी 2019 को स्वदेशी जागरण मंच का 13वां राष्ट्रीय सम्मेलन 'आर.एल. गुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, टी.वी.आर. नगर, अरुपुकोट्टई, मेन रोड, मदुरै, तमिलनाडू-625022 में 'स्वदेशी भाव फिर जगें' गीत के साथ प्रातः 10:00 बजे प्रारंभ हुआ। स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरुण ओझा, मंच के राष्ट्रीय सहसंयोजक गण श्री सरोज मित्र, डॉ. अश्वनी महाजन, प्रो. बी.एम. कुमारस्वामी, श्री आर.सुन्दरम व राष्ट्रीय संगठक श्री कश्मीरी लाल सहित उद्योगपति व मुख्य अतिथि श्री मुत्तु जी, स्व. चिदम्बरम पिल्लै के पौत्र श्री चिदम्बरम जी, भारतीय मजदूर संघ से श्री पवन कुमार तथा विद्या भारती से श्री जे.आर. जगदीश ने दीप प्रज्वलन कर सम्मेलन का उद्घाटन किया।

उद्घाटन सत्र

श्री आर.सुन्दरम ने सभी अधिकारीगण एवं प्रतिनिधियों का मदुरै में सम्मेलन हेतु पधारने पर संक्षिप्त स्वागत एवं उद्बोधन किया। आयोजन समिति के प्रमुख श्री सतीश कुमार ने इस सम्मेलन की भूमिका व भारत में स्वदेशी

अभियान की आवश्यकता के बारे में बताया। श्री दीपक शर्मा 'प्रदीप' (अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख) ने प्रचार विभाग की सूचनाएं तथा जानकारी देते हुए बताया कि स्वदेशी जागरण मंच के इस सम्मेलन का सोशल मीडिया पर लाईव प्रसारण हो रहा है।

श्री चिदम्बरम: मुख्य अतिथि ने अपना व्याख्यान हिन्दी, तमिल व अंग्रेजी भाषा में दिया। उन्होंने कहा मेरे दादाजी स्व. चिम्बरम पिल्ले ने 1906 में पहला स्टीमर जहाज चलाया था। वे गंगाधर तिलक को अपना गुरु मानते थे। पिल्लै जी वकील और यूनियन लीडर थे। उन्हें भारत का पहला स्वदेशी जहाजरानी निर्माता भी कहा जाता है।

श्री मुत्तु जी: जो तिलों के तेल के उत्पादक "इडीएम (हृदय) बांड" के मालिक ने बताया कि हमने तिलों के तेल के विषय में न केवल भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग किया, बल्कि निर्यात भी किया है। हम सालाना 7000 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, इससे रोजगार व समृद्धि का स्वदेशी प्रयत्न सफल हो रहा है।

घुसपैठ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति एवं सुरक्षा पर घुसपैठ के गंभीर परिणाम परिलक्षित हो रहे हैं। आज देश में 4 करोड़ से अधिक घुसपैठिये हैं एवं उनमें से अधिकांश बांग्लादेशी हैं। असम एवं पश्चिम बंगाल घुसपैठ से सर्वाधिक आक्रांत राज्य हैं। किंतु आज घुसपैठ देश के समस्त राज्यों में तेजी से फैलती हुई दक्षिण भारत यथा केरल, तमिलनाडू एवं कर्नाटक में भी अपने पैर पसार चुकी है। अतः वर्तमान परिदृश्य में घुसपैठ किसी विशेष क्षेत्र की समस्या न होकर एक राष्ट्रीय समस्या का स्वरूप ले चुकी है।

भारत पूर्व से ही अपर्याप्त रोजगार के अवसरों एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है। घुसपैठियों की लगातार बढ़ती संख्या बेरोजगारी की समस्या को विकराल बना रही है। घुसपैठिये भारत के युवाओं की नौकरियां छीन रहे हैं। निर्माण, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, कृषि जैसे अनेक क्षेत्रों में घुसपैठिये रोजगार पर कब्जा जमा रहे हैं। अतः मांग और पूर्ति के अर्थशास्त्र के नियम के अनुसार भारतीय मजदूरों के रोजगार के अवसर निरंतर कम होते जा रहे हैं।

बढ़ती मुद्रास्फीति: उत्पादन के स्रोत स्थिर हैं किंतु उत्पादित वस्तुओं की मांग घुसपैठ के कारण निरंतर बढ़ रही है। अतः अर्थशास्त्र के मांग एवं पूर्ति सिद्धांत के अनुसार मुद्रास्फीति में निरंतर वृद्धि हो रही है।

धन बहिर्गमन: मजदूरी के रूप में घुसपैठियों द्वारा कमाई गई राशि का बड़ा भाग वे अपने गृह देश में भेजते हैं, फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

शासकीय संसाधनों पर कब्जा: घुसपैठिये अपनी बढ़ती संख्या के कारण अनेक विधानसभा, लोकसभा क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभाते हुए अपनी मजबूत पकड़ बनाकर लाभकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं का बड़े पैमाने पर लाभ उठा रहे हैं। इस प्रकार देश के नागरिकों की गाढ़ी कमाई के बड़े हिस्से का वे दुरुपयोग कर रहे हैं।

भूमि अतिक्रमण: अधिकांश शासकीय महत्व के स्थलों एवं संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्रों जैसे राजमार्ग, रेलवे लाइन, हवाई अड्डे आदि के पास घुसपैठिये अवैध अतिक्रमण कर लेते हैं। जिससे अधोसंरचना विकास को क्षति पहुंचती है एवं विरुपण की संभावना बनती है। कभी-कभी स्थानीय भूमि पुत्रों की जमीन पर बलात कब्जा घुसपैठिये कर लेते हैं जिससे बलवे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कोकड़ाझार असम में 2012 में हुए दंगों इसका उदाहरण है।

राष्ट्रीय सुरक्षा: अधिकांश प्रकरणों में घुसपैठिये भूमि पर अतिक्रमण कर झुग्गी बस्ती बसा लेते हैं जो अवैधानिक गतिविधियों का केंद्र और अपराधियों की आश्रय स्थली बन जाती है और महानगरों में कानून व्यवस्था एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न हो जाती है।

खुदरा व्यापार पर दुष्प्रभाव: घुसपैठियों द्वारा फुटपाथी व्यवसाय, गांव एवं शहरों में फेरीवाले व्यवसाय और स्थानीय खुदरा व्यापार में लगे नागरिकों के रोजगार को अपूरणीय क्षति पहुंचा रहे हैं।

1988 से 2018 के बीच में देशी मूल के लोगों की घटती जनसंख्या का विश्लेषण

जिला	देशी मूल के लोगों की जनसंख्या		जिला	देशी मूल के लोगों की जनसंख्या	
	1988	2018		1988	2018
मुर्शिदाबाद	71	37	माल्दा	63	49
नादिया	77	57	उत्तर 24 परगना	81	52
दक्षिण 24 परगना	83	54	उत्तर दिनाजपुर	91	67
दक्षिण दिनाजपुर	74	44	बरपेटा (आसाम)	60	28

(उल्लेखनीय है कि उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर चिकन नेक का हिस्सा हैं। इस क्षेत्र का जनसांख्यिकीय परिवर्तन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।)

जनसांख्यिकीय परिवर्तन: बड़ी संख्या में घुसपैठ के परिणामस्वरूप जनसांख्यिकीय परिवर्तन से स्थानीय मूल का देशी जन समुदाय अल्पसंख्यक हो रहा है तथा अपने अधिकारों से वंचित हो रहा है। मूल देशी जनता के हाथ से रोजगार विदेशी घुसपैठियों के हाथ में जा रहा है तथा वह जानमाल के खतरे से पलायन कर रहा है। क्षेत्र के अधिकांश इलाकों में स्थानीय देशी जन समुदाय पिछले 30 वर्षों में अल्पसंख्यक में तब्दील हो चुका है। यह कुछ जिलों में हुए जनसांख्यिकीय परिवर्तन की झलक मात्र है। किंतु दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे महानगर सहित किसी न किसी परिमाण में देश के लगभग संपूर्ण राज्य प्रभावित हो रहे हैं।

देश को, स्वयं को, घुसपैठ जन्य समस्याओं से बचाने के लिए हम घुसपैठ के विरुद्ध विरोध दर्ज करते हैं।

13वां राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वदेशी जागरण मंच मांग करता है कि— भारत सरकार सीमाओं को सील करें, पाकिस्तान के साथ पश्चिमी सीमा की तरह बांग्लादेश से लगी पूर्वी सीमा को भी सील किया जाये और सीधे सेना के हस्तगत किया जाये। देश के सभी राजनैतिक दल लोकसभा 2019 चुनाव के समय अपने घोषणा-पत्र में घुसपैठ और इससे उत्पन्न समस्या पर अपने अभिमत का स्पष्ट उल्लेख करें।

राष्ट्रीय नागरिक पंजीयन (एनआरसी): संपूर्ण देश के लिए राष्ट्रीय नागरिकों का पंजीयन लागू किया जाये एवं घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर किया जाये।

देशवासियों से अपील— देशवासियों से देश की सामाजिक, आर्थिक और आंतरिक व वाह्य सुरक्षा एवं घुसपैठियों एवं घुसपैठजन्य समस्याओं से मुक्ति के लिए हम घुसपैठियों को प्रश्रय नहीं दें और रोजगार नहीं दें, देशहित में किसी भी प्रकार की सहायता न करें। □

भारत के हित में नहीं है आरसीईपी

स्वदेशी जागरण मंच रिजनल कंप्रिहेंसिव इकोनामिक पार्टनरशिप (आरसीईपी) यानि प्रस्तावित क्षेत्रीय विस्तृत आर्थिक साझेदारी समझौते के घटनाक्रमों को बहुत नजदीक से देख रहा है। अभी तक का भारत सरकार का रवैया इस समझौते की ओर सर्तकता से बढ़ने का रहा है। स्वदेशी जागरण मंच का राष्ट्रीय सम्मेलन यह मानता है कि आरसीईपी समझौता भारत के लिए एक बड़ा खतरा है और अवसर तो बिल्कुल नहीं है, जैसा सरकारी सूत्रों के हवाले से मीडिया में बताया जा रहा है। हालांकि 2012 से शुरू होकर अभी तक 24 वार्ताओं के दौर इस संदर्भ में हो चुके हैं लेकिन इन वार्ताओं में आगे नहीं बढ़ा जा सका, क्योंकि भारतीय वार्ताकारों ने विशेष तौर पर 2014 के बाद बड़ी सतर्कता से काम किया और आरसीईपी के अन्य सदस्य देशों के किसी भी दबाव में झुकने से इंकार कर दिया। भारत ही नहीं कई अन्य सदस्य देश भी आरसीईपी समझौतों के प्रभाव के बारे में काफी आशंकित रहे हैं। आरसीईपी एक प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें 16 देश शामिल हैं। इसमें 10 आसियान देश (इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया) एवं जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन और भारत आते हैं। इस समझौते की व्यापकता इस बात से समझी जा सकती है कि आरसीईपी के 16 सदस्य देशों में 3.4 अरब लोग रहते हैं, जो कुल वैश्विक जनसंख्या का 45 प्रतिशत है, इनकी सम्मिलित क्रय शक्ति समता के आधार पर जीडीपी 49.3 डॉलर है, जो विश्व की कुल जीडीपी का 39 प्रतिशत है और विश्व के कुल विदेशी व्यापार का 30 प्रतिशत इन मुल्कों द्वारा होता है। यानि कहा जा सकता है कि यदि यह आरसीईपी समझौता हो जाता है तो यह विश्व व्यापार संगठन समझौते के बाद, दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता हो जाएगा और दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार ब्लॉक बन जाएगा।

बाजार पहुंच इस प्रस्तावित आरसीईपी समझौते के केंद्र में है। समझौते होने के बाद भारत को एक सदस्य देश होने के नाते अपने अन्य सदस्य देशों से अधिकांश आयातों पर आयात शुल्क को शून्य पर लाना होगा। आरसीईपी के मूल प्रस्तावों के अनुसार भारत को अन्य सदस्य देशों से आयातों में से 90 से 92 प्रतिशत आयातित वस्तुओं पर आयात शुल्क शून्य करना होगा। हालांकि भारत ने भी कई प्रस्ताव इस समझौते के संदर्भ में दिये हैं, जिसमें तीन स्तरीय टैरिफ घटाने का भी प्रस्ताव है। इस तीन स्तरीय टैरिफ घटाने के प्रस्ताव के अनुसार पहला वर्तमान आसियान समझौते में शामिल देशों के लिए है। दूसरा उन देशों के लिए है, जिनके साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता पहले से ही है, यानि जापान और दक्षिण कोरिया तथा तीसरा उन देशों के लिए है जिनके साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता अभी नहीं है यानि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और चीन।

जानकारों के अनुसार भारत को कहा गया है कि वह अपने प्रस्तावों में बदलाव कर और टैरिफ को ज्यादा वस्तुओं के लिए घटाने हेतु सहमति दें। औद्योगिक वस्तुओं के संदर्भ में भारत को चीन से एक बड़ी चुनौती है। भारत के लगभग आधा व्यापार घाटा चीन के कारण है, यदि 74 प्रतिशत वस्तुओं पर भी आयात शुल्क घटाने हेतु हामी भरता है (जो वर्तमान में भारत का प्रस्ताव है) तो भी चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा कई गुना बढ़ सकता है। यही नहीं, यह भारत के मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की संभावनाओं के लिए खतरा उत्पन्न करते हुए भारत के लोगों के अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह लग सकता है।

मुक्त व्यापार समझौतों के संदर्भ में भारत का अनुभव बहुत उत्साहवर्धक नहीं रहा है, खासतौर पर इस क्षेत्र में। जब से भारत ने आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है, इन देशों के साथ हमारा व्यापार घाटा वर्ष 2009-10 में 7.7 अरब डॉलर से बढ़ता हुआ 2017-18 तक 13 अरब डॉलर तक पहुंच गया चुका है। इस कालखंड में मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे मुल्कों से आयात 2 से 3 गुना बढ़ चुका है। लगभग यही अनुमान जापान और दक्षिण कोरिया के साथ भी रहा है, जहां हमारा व्यापार घाटा दुगुने से ज्यादा हो चुका है। आज जब हमारा व्यापार घाटा अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है। भारत के लिए अधिक आयात शुल्क रहित बाजार पहुंच की अनुमति देना देशहित में नहीं है। ऐसा करते हुए अपने उद्योगों को बंद करने के लिए बाध्य कर देंगे। हमें नहीं भूलना चाहिए कि गेहूं, डेयरी उत्पादन और मांस उत्पादनों में ऑस्ट्रेलिया की प्रतिस्पर्धा शक्ति और वैश्विक डेयरी निर्यातक के नाते न्यूजीलैंड की भूमिका के मद्देनजर, हम इस समझौते के बाद भारतीय कृषि और डेयरी क्षेत्रों को पूरी तरह से दयनीय स्थिति में पहुंचा देंगे।

भारत सरकार के वार्ताकारों का इस समझौते के संदर्भ में एक मात्र तर्क यह है कि हम अन्य सदस्य देशों से सेवाओं के व्यापार के बारे में कुछ रियायतें पा सकते हैं, जहां भारत का कुछ आक्रामक हित है। हालांकि यह बताया जा रहा है कि भारत को सेवाओं में उदारीकरण से कुछ लाभ हो सकता है, लेकिन इस संदर्भ में हमारा अभी तक का अनुभव बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। जहां एक ओर भारत ने आसियान देशों के साथ अन्य देशों से आने वाले पेशेवरों के संदर्भ में खुले द्वार की नीति अपनाई हुई है, लेकिन अन्य देशों ने तमाम प्रकार के घरेलू नियम बनाए हुए हैं, जिनके कारण से भारतीय पेशेवरों को वहां रोजगार पाना संभव नहीं है। साथ ही साथ यदि आरसीईपी समझौता संपन्न हो जाता है तो कई संदर्भ में भारत सरकार के लिए नीति बनाने के विकल्प समाप्त हो सकते हैं। भारत को सेवाओं के संबंध में घरेलू विनियम के बारे में ऐसे प्रावधानों को स्वीकार करने के लिए कहा जा रहा है, जिसके कारण केंद्र सरकार ही नहीं, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के पास भी नीति निर्माण के विकल्प सीमित हो जाएंगे। साथ ही साथ ऐसे संकेत हैं कि जापान और दक्षिण कोरिया के प्रस्ताव हैं कि विश्व व्यापार संगठन में संपन्न टिप्स व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार समझौते से आगे बढ़कर बौद्धिक संपदा के संदर्भ में प्रतिबद्धता इस समझौते में हो, जिसे 'टिप्स-प्लस' कहा गया है।

इन प्रावधानों के अनुसार फार्मा कंपनियों के पेटेंट सामान्य 20 वर्ष से आगे बढ़ाना और 'डाटा एक्लूसिविटी' आदि से प्रतिस्पर्धा सीमित हो जायेगी। ये प्रावधान और इनके साथ-साथ अन्य प्रस्तावित प्रावधान, जन स्वास्थ्य के संदर्भ में अन्य चिंता का विषय है, क्योंकि दवाईयों की सर्वसुलभता पर इसका प्रभाव पड़ सकता है।

बौद्धिक संपदा अध्याय में भारत को कहा जा रहा है कि वह नई पादप किस्मों के अंतरराष्ट्रीय संघ (यूपीओवी) 1991 समझौते को स्वीकार कर ले, जिससे हमारे किसानों की बीज उत्पादन, रखरखाव, विनिमय और बिक्री की संभावना ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए इस प्रस्ताव को सिरे से नकारने की जरूरत है, क्योंकि यदि यूपीओवी 1991 को अपनाने वाले किसी भी समझौते पर हामी भरी जाती है तो यह भारतीय किसानों की रोजी रोटी को समाप्त करने वाला होगा। हमने देखा है कि वैश्विक निवेश समझौतों से कंपनियों के हाथ में सरकारों पर मुकदमा दायर करने की ताकत आ जाती है अब वे सरकारों को कंपनियों को विनिमय करने की क्षमता को चुनौती देने लगती है। इसके कारण न केवल मुआवजा देने में भारी राजस्व का नुकसान होता है बल्कि सरकार के पास नीति बदलने की संभावना भी नहीं बचती। भारत सरकार को आदर्श द्विपक्षीय निवेश समझौते के प्रारूप पर अडिग रहना चाहिए और अपने नीतिगत विकल्पों को क्षरित करने वाले किसी भी प्रस्ताव को नहीं मानना चाहिए।

यह भी सुना जा रहा है कि भारत सरकार ई-कॉमर्स के अध्याय में कुछ प्रावधानों पर सहमति देने वाली है। भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था में कदम रख रहा है। इस समझौते का डिजिटल अर्थव्यवस्था में नीतिगत और विनिमय की संभावनाओं पर विपरीत असर पड़ेगा। यह भारी भूल होगी। आज जब ई-कॉमर्स और डिजिटल अर्थव्यवस्था की नीति पर देश में बहस चल रही है और इस दिशा में स्पष्ट नीति के बारे में विचार चल रहा है, हमें किसी अंतरराष्ट्रीय समझौते पर हामी भर कर अपने हाथ बांधने नहीं देना चाहिए। हम पहले से ही देख रहे हैं कि बड़ी ई-कॉमर्स और डिजिटल कंपनियां एकाधिकार शक्ति के बलबूते कैसे भारत का शोषण कर रही है, उनके एकाधिकारी ताकत को बढ़ाना किसी भी हाल में सही नहीं है।

स्वदेशी जागरण मंच का मानना है कि आरसीईपी भारत के लोगों के हित में नहीं है। अर्थव्यवस्था का कोई क्षेत्र अथवा वर्ग इस समझौते से लाभान्वित होने वाला नहीं है। 2019 के चुनाव होने के नाते भी भारत सरकार के लिए समझौते पर सहमति देना अथवा आरसीईपी सदस्य देशों को कोई रियायत देना घातक हो सकता है। मंच का राष्ट्रीय सम्मेलन सरकार से आग्रह करता है कि राष्ट्रीय हितों, विशेष तौर पर मैन्युफैक्चरिंग, किसान, डेयरी और जन स्वास्थ्य संरक्षण के मद्देनजर आरसीपी वार्ताओं में आगे न बढ़े। □

श्री अजय पत्की: अखिल भारतीय विचार विभाग प्रमुख श्री अजय पत्की जी ने स्वदेशी की विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्वदेशी के सफल अभियानों व संघर्ष यात्रा से प्रतिनिधियों को परिचित कराया। 1993 के स्वदेशी संपर्क अभियान से लेकर इस वर्ष रोजगार पर हुई मुंबई की गोष्ठी तक का स्वदेशी जागरण मंच का इतिहास बताया। मंच के प्रथम संयोजक डॉ. मा.गो. बोकरे द्वारा लिखित 'हिन्दू इक्नोमिक्स', अमरीकी कंपनी एनरॉन की बिजली परियोजना का विरोध, मछुवारों की रक्षा हेतु हुई सागर यात्रा, डब्ल्यूटीओ में मंच के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति, खुदरा व्यापारियों की सुरक्षा हेतु हुए जुटान, जीएम फसलों को विरोध, चाईनीज वस्तुओं के बहिष्कार का अभियान के बारे में विस्तार से बताया।

श्री अरुण ओझा ने वर्ष भर की मंच की गतिविधियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। जिसमें रोजगार, पर्यावरण व परिवार विषयों पर हुए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, विचार वर्गों की जानकारीयां व ई-कॉमर्स – फिलपकार्ट-वालमार्ट डील पर विरोध आदि के बारे में अवगत कराया। उन्होंने आगे कहा कि हमें कृषि, बेरोजगारी, चिकित्सा व पर्यावरण का विचार करते हुए विकास के ढांचे को बदलना होगा। भारतवर्ष के पास इस स्थायी विकास के मॉडल का पुराना अनुभव है।

श्री श्री रविशंकर महाराज: श्री श्री रविशंकर जी महाराज

व मंच पर उपस्थित अधिकारीगणों द्वारा तीन पुस्तकों (स्वदेशी विकास यात्रा, आरसीईपी व विश्व व्यापार युद्ध) का विमोचन हुआ, उसके बाद उन्होंने प्रतिनिधियों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने अपने आशीर्वाद भाषण में कहा कि भारत में विविधता में एकता है। संपूर्ण भारत व दुनिया के कई देशों में 'ऊं नमः शिवायः' गूंजता है। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। आज संस्कृतिक गुलामी से मुक्त होने की आवश्यकता है। भारत विश्व गुरु बनेगा। आज हमारे योग को दुनिया में सम्मान मिला है। महंगा हो तो भी हमें स्वदेशी वस्तु की खरीदनी चाहिए।

कार्यवृत्त

विभिन्न प्रांतों के प्रांत संयोजकों, प्रमुखों ने अपने-अपने प्रांत की वर्ष भर में हुई गतिविधियों एवं कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन सबके अनुसार देश भर में सभी 25 प्रांतों व लगभग 400 जिलों में स्वदेशी जागरण मंच की ईकाईयां सक्रिय हैं। अधिकांश प्रांतों में विचार वर्ग, स्वदेशी सप्ताह (25 सितंबर-2 अक्टूबर), स्वदेशी दिवस-बाबू गेनू बलिदान दिवस (12 दिसंबर) के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इस वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुए राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के जन्मदिवस पर हुई भव्य नागरिक गोष्ठी विशेष उल्लेखनीय है। जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत जी का विशेष रूप से मार्गदर्शन हुआ। इसी तरह ओडिसा में नदियों पर हुई

सरकार लाए एक मजबूत ई-कॉमर्स नीति

ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा चालाकीपूर्ण मूल्य निर्धारण, उत्पादों की कीमतों में भारी छूट, विदेशी निवेश के निषेध की अनदेखी करते हुए कैश बर्निंग मॉडल के माध्यम से भारत के छोटे दुकानदारों को अनुचित प्रतिस्पर्धा के सामने धकेल कर उनकी रोजी रोटी पर चोट पहुंचाई है। खुदरा व्यापार में लगे 13 करोड़ भारतीय, करोड़ों की संख्या में लघु-मध्यम उद्योगों में लगे लोग एवं लाखों युवाओं के ई-कॉमर्स के छोटे-छोटे उपक्रमों के अस्तित्व के खतरे के प्रति स्वदेशी जागरण मंच चिंतित है।

अमेजन, लिपकार्ट, स्नैपडील, अलीबाबा, उबर, ओला आदि हमारी वर्तमान व्यवस्था को निगलने के लिए आतुर है। देश का कानून ई-कॉमर्स में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति नहीं देता, लेकिन ये चालबाज कंपनियां बचने के रास्ते ढूंढ लेती हैं। यहीं नहीं इन भीमकाय कंपनियों की अनेक सहायक कंपनियां होती हैं, जिनके उत्पाद ये कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म से बेचती हैं। जैसे-अमेजन की क्लाउड टेल लि., लिपकार्ट की डब्ल्यूएस रिटेल की कुल विक्रय में 40 से 80 प्रतिशत भागीदारी है।

हाल ही में ई-कॉमर्स के संबंध में दो प्रमुख परिवर्तन हुए हैं, जो कि नीतिगत स्तर पर स्पष्टता की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। डब्ल्यूटीओ की पिछली मंत्रीस्तरीय सभा में जो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटाईना में संपन्न हुई, विकसित देशों द्वारा ई-कॉमर्स को डब्ल्यूटीओ व्यापार समझौता वार्ता में शामिल करने के पुरजोर प्रयास किये गये। विभिन्न द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय व्यापार समझौतों में, विशेषतः क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) में भी भारत पर दबाव डाला गया कि वह ई-कॉमर्स पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए समझौता वार्ता में शामिल हो।

पूर्व में भारत सरकार की इस दिशा में स्पष्ट नीति नहीं होने से ये कंपनियां बहुत तेजी से भारत के उपभोक्ता के बीच पहुंचकर अपने लुभावने हथकंडों से अपनी पहुंच बना चुकी है। वर्तमान सरकार ने देश के अर्थतंत्र में छोटे दुकानदारों, फेरीवालों का योगदान बना रहे और उनका जीविका निर्वाह होता रहे, इसके लिए डीआईपीपी (डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन) के माध्यम से प्रेस नोट-2 जारी कर इस संकट को सुलझाने की इच्छाशक्ति प्रकट की है। डीआईपीपी द्वारा जारी निर्देशों में ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा मनमाने मूल्य निर्धारण, कीमतों में भारी छूट प्रदान करना, विदेशी निवेश नियमों का उल्लंघन करना, इन सब पर स्पष्ट अंकुश लगाने का प्रावधान है एवं आवश्यक होने पर कंपनियों के मनमाने आचरण को रोकने के लिए कठोर कानूनी कार्यवाही करने के लिए नियंत्रक बनाने का भी प्रावधान है।

स्वदेशी जागरण मंच सरकार के डीआईपीपी द्वारा जारी नवीन दिशा निर्देशों के प्रति आशावित है, किंतु सरकार को सचेत भी करना चाहता है कि नियमों के कठोर अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए इन कंपनियों के कपटपूर्ण व्यवहार को पहचानकर उन्हें किसी भी प्रकार की रियायत न दें।

चीन भी इस क्षेत्र में बड़ा खिलाड़ी है। अभी स्वदेशी जागरण मंच ने शोध कर पता लगाया कि 2 लाख पार्सल ई-कॉमर्स चैनल का उपयोग कर भारत आ रहे हैं। यहीं नहीं अप्रवासी भारतीयों को 5 हजार रुपये की उपहार भेजने हेतु दी गई छूट का लाभ भी ये चीनी एप उठा रहे हैं। चीनी पोस्ट से भारत की पोस्ट पर कस्टम ड्यूटी से बचकर गिट की आड़ में माल बेचने का कंपनियों का खेल चल रहा है। भारी सब्सिडी प्राप्त उत्पाद जहाजों से भेजे जा रहे हैं।

स्वदेशी जागरण मंच यह मांग करता है कि भारत के एमएसएमई क्षेत्र को संबल देने के लिए तुरंत इस प्रकार से देश में पहुंच रहे चीनी उत्पादों के अवैधानिक प्रवेश पर तत्काल रोक लगाई जाये। वैश्विक भीमकाय ई-कॉमर्स की चालबाजियों पर तत्काल प्रभाव से अंकुश लगाकर उनके द्वारा किये जा रहे खुदरा व्यापार के स्थानीय तंत्र के शोषण को अविलंब रोकने के लिए कठोर कदम उठाये जाये। □

गोष्ठियां भी विशेष चर्चा में रही। 'तब खादी-अब खाद' विषय पर भी अनेक स्थानों पर कार्यक्रम हुए। पर्यावरण व परिवार पर देश भर में बैठकें, कार्यक्रम व गोष्ठियां हुईं।

रोजगार विषय पर देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम/गोष्ठियां हुईं। विशेष रूप से चण्डीगढ़, उदयपुर, दिल्ली व मुंबई में उपकुलपतियों सहित कृषि व उद्योग जगत के प्रमुख लोगों ने भारत में रोजगार वृद्धि पर चिंतन, मंथन किया। हरियाणा में सभी 22 जिलों में जिला सम्मेलन आयोजित किये गये। इसके अलावा झारखंड, ओडिसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा में भव्य स्वदेशी मेलों को आयोजन भी संपन्न हुआ। स्टार्ट-अप व लघु ऋण वितरण की गतिविधियां भी अनेक प्रांतों में चल रही हैं व बढ़ रही हैं। कुल मिलाकर प्रत्येक प्रांत में कुछ न कुछ विशेष

कार्यक्रम आयोजित किये हैं। इसके अतिरिक्त भी स्वदेशी विकास यात्रा, रोजगार व स्वदेशी पथ, मुक्त व्यापार समझौता (RCEP) व विश्व व्यापार युद्ध पर लघु पुस्तिकाओं के प्रकाशन की जानकारी भी कार्यवृत्त में आयी।

पारित प्रस्ताव

1. घुसपैठ का देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव — श्री अमलान कुसुम घोष ने अंग्रेजी व श्री मनोज कुमार सिंह ने हिन्दी में वाचन किया।

2. भारत के हित में नहीं है आरसीईपी (16 देशों का मुक्त व्यापार समझौता) — डॉ. अशुतोष ने अंग्रेजी व डॉ. अश्वनी महाजन ने हिन्दी में वाचन किया।

3. सरकार लाए एक मजबूत ई-कॉमर्स नीति — डॉ. राघवेंद्र चंदेल ने हिन्दी में वाचन किया।

स्वदेशी विकास मॉडल ही समाधान

आज भारत चीन को भी पछाड़ते हुए दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है, और हमारी जीडीपी (विनिमय दर के अनुसार) 2.8 खरब डालर हो जाने के बाद भारत दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। क्रयशक्ति क्षमता के आधार पर तो हमारी जीडीपी 9.4 खरब डालर हो जाने के फलस्वरूप भारत, अमरीका और चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। लेकिन इन सबके बावजूद आज भी भारत एक ऐसा देश है, जहां भूख से पीड़ित दुनिया के सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। पिछले वर्ष ही श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार हमारी बेरोजगारी 2017 में 183 लाख से बढ़ती हुई 2018 तक 186 लाख हो गई। यूपीए शासन के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो स्थिर हो गया था या घट रहा था, पिछले चार वर्षों से लगातार बढ़ने लगा है। उसके बावजूद बेरोजगारी की दर या तो स्थिर है अथवा थोड़ी बढ़ी है।

चाहे जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा हो अथवा विदेशी भुगतान घाटा, लगभग सभी आर्थिक संकेतक नियंत्रण में हैं। भारतीय रुपया जो तेल की कीमतों के बढ़ने के कारण कुछ कमजोर जरूर हुआ था, अब फिर से मजबूती पकड़ने लगा है। वर्तमान सरकार के शासन में पूर्व के 10 सालों के यूपीए शासन के भ्रष्टाचार पर लगाम भी लगी है। इस बारे में भी संदेह नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी गरीबी, असमानताओं और बेरोजगारी पर निर्णायक असर दिखाई नहीं दे रहा।

स्वदेशी जागरण मंच की स्पष्ट मान्यता है कि देश से गरीबी दूर करने, गांवों की हालत सुधारने, असमानताओं को हटाने और बेरोजगारी समाप्त करने के लिए विकास के बारे में सोच में आमूलचूल परिवर्तन लाना जरूरी है। आज विदेशी निवेश पर निर्भर करते हुए जीडीपी बढ़ाने के विकास मॉडल के चलते गरीबी और बेरोजगारी इसलिए दूर नहीं हो पा रही, क्योंकि यह रोजगारहीन विकास का मॉडल है, जिससे जीडीपी बढ़ने के बावजूद उसके लाभ मजदूरों और गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहे।

साथ ही साथ यह मॉडल पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर विचार नहीं करता। बढ़ते शहरीकरण, जल, वायु, मृदा सहित सभी प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण और प्रकृति के शोषण और उस सबके कारण हो रहे जलवायु परिवर्तन और वैश्विक उष्णता का विषय जीडीपी आधारित विकास मॉडल के संज्ञान में नहीं रहता।

भारत में ही नहीं, दुनिया भर में विकास के इस विकृत मॉडल के चलते दुनिया भर में असमानतायें बढ़ रही हैं, रोजगार का क्षरण हो रहा है।

स्वदेशी जागरण मंच की स्पष्ट मान्यता है कि विकास का स्वदेशी मॉडल, जिसमें विदेशी निवेश पर निर्भरता न्यूनतम हो, जिसमें अपने लघु उद्योगों का संरक्षण हो, जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खासतौर पर किसान की अनदेखी न हो, जिसमें उत्पादन के साथ-साथ रोजगार, समानता और विकेंद्रीकरण पर ध्यान हो, वही हमारे रोजगार, गरीबों के कल्याण और सभी क्षेत्रों के विकास की आधारभूत शर्त है।

पिछले लगभग 25 सालों से ज्यादा समय से भूमंडलीकरण और उदारीकरण के नाम पर जिस प्रकार से आयातों को मुक्त रूप से आने देने की नीति ने हमारा व्यापार घाटा और भुगतान घाटा भारी रूप में बढ़ा दिया है। इस घाटे के कारण विदेशी निवेश पर हमारी निर्भरता भयंकर रूप से बढ़ गई है। विदेशी भुगतान की समस्या के चलते विदेशी कर्ज भी बढ़े और हमारे रुपये का भी भारी अवमूल्यन देखने को मिला। रुपये के अवमूल्यन ने हमारे भुगतान घाटे को और अधिक बढ़ाने का काम किया।

आज आवश्यकता इस बात की है कि चीन और शेष विश्व से आयातों की बाढ़ आने के कारण जो व्यापार घाटा बढ़ा है, उसे नियंत्रित किया जाये। पिछले एक वर्ष में सरकार ने जो इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकॉम, वस्त्र और गैर जरूरी आयातों पर आयात शुल्क बढ़ाया गया है, जो स्वागत योग्य है। उसके अपेक्षित परिणाम मिल रहे हैं, यहीं नहीं सरकार द्वारा एंटी डंपिंग ड्यूटी और मानक लगाकर भी आयातों को रोकने का प्रयास हुआ है। इस कार्य को और आगे बढ़ाने की जरूरत है।

विदेशी निवेश के कारण भारत से रायल्टी, ब्याज, डिविडेंट, वेतन, टेक्नीकल फीस आदि के नाम पर भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन हो रहा है, जो हमारे रुपये को और कमजोर कर रहा है। इसलिए विदेशी निवेश और आयातों पर अपनी निर्भरता को कम करने की जरूरत है। आयात कम करते हुए घरेलू उत्पाद द्वारा उनकी पूर्ति करने से मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र में मत्स्यन, मुर्गी पालन, पशु पालन, मशरूम उत्पादन, फल-सब्जी उत्पादन, बांस और उसके उत्पाद, खाद प्रसंस्करण द्वारा रोजगार के अवसरों को बढ़ी मात्रा में बढ़ाया जा सकता है।

मोदी सरकार द्वारा मुद्रा योजना, जनधन, स्टार्ट-अप, कौशल विकास इत्यादि के माध्यम से रोजगार के नये अवसर जुटाये जा रहे हैं। गरीबों, विशेषतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, आवास, कुकिंग गैस, शौचालय आदि के माध्यम से उनके जीवन स्तर को सुधारने की कोशिश तो हुई है, साथ ही साथ किसानों की आमदनी को दुगुना करने हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य, गांवों में रोजगार वृद्धि, बीज, खाद और प्रौद्योगिकी पहुंच बढ़ाकर विपणन में सुधार आदि भी सराहनीय कदम हैं। लेकिन ये प्रयास सराहनीय होने के बावजूद पर्याप्त नहीं हैं। इसके साथ-साथ नीति नियंत्रणों को विकास के बारे में अपनी सोच को बदलना होगा और इस मानसिकता से बाहर आना होगा कि विकास विदेशी पूंजी और संसाधनों से ही हो सकता है। हमें विकास के मानकों को बदलना होगा। स्वदेशी जागरण मंच का मानना है कि जीडीपी विकास का मानक नहीं हो सकता, हमें समझना होगा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जंगल के अनुपात में वृद्धि, मृदा का संवर्धन, स्वास्थ्य, रोजगार निर्माण, प्रदूषण में कमी, सभी विकास के मानकों में शामिल होने चाहिए।

स्वदेशी जागरण मंच का यह राष्ट्रीय सम्मेलन सरकार से आह्वान करता है कि -

1. विकास की किसी भी नीति निर्माण अथवा उसमें बदलाव से पहले इस पर विचार हो कि क्या वह नीति रोजगार, गरीब, विकेंद्रीकरण और पर्यावरण के लिए उचित है, अथवा नहीं।
2. आज जब भूमंडलीकरण के नाम पर अपनाई गई नीतियों के चलते ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय में 12.3 गुणा का अंतर हो चुका है, सरकार बजटीय प्रावधान करते हुए किसानों और गांवों की हालत सुधारने के लिए काम करें।
3. लघु और कुटीर उद्योगों में विकास को केंद्र में रखते हुए राष्ट्रीय मैन्यूफैक्चरिंग नीति बनाई जाए। बड़े उद्योगों, विशेषतौर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हित साधन करने वाली नीतियों से बचा जाए। एमएसएमइ की परिभाषा में बदलाव करने वाले विधेयक को वापिस लिया जाए। लघु उद्योगों तथा लघु व्यवसायों को तहस-नहस करने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों को प्रतिबंधित किया जाए। लघु उद्योगों के लिए उत्पादों को आरक्षित करने की नीति वापिस लाई जाए। सरकारी खरीद में लघु उद्योगों को प्राथमिकता की नीति को कड़ाई से लागू किया जाए। विकेंद्रित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए।
4. विकेंद्रित विकास को बढ़ावा दिया जाए। □



4. स्वदेशी विकास मॉडल ही समाधान - श्री महादेवव्यास ने अंग्रेजी व श्री अनंदा शंकर पाणीग्रही ने हिन्दी में वाचन किया।

अखिल भारतीय विचार वर्ग

इस वर्ष देश में 5 विभिन्न स्थानों पर स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय विचार वर्ग संपन्न हुए। जिसमें देश भर से इन विचार वर्गों में 779 कार्यकर्ता उपस्थित हुए तथा सभी विचार वर्गों में मंच के अखिल भारतीय पदाधिकारियों एवं विषय विशेषज्ञों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उत्तर क्षेत्र व राजस्थान का वर्ग कुरुक्षेत्र (हरियाणा), उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड का वर्ग शहाजहांपुर, मध्य व पश्चिम क्षेत्र का वर्ग दुर्ग (छत्तीसगढ़), पूर्व का वर्ग तारापीठ (प.बंगाल) में संपन्न हुआ।

इस वर्ष संघर्ष वाहिनी की अ.भा. बैठक जयपुर (राजस्थान) में संपन्न हुई, जिसमें 14 राज्यों के 98 कार्यकर्ता उपस्थित हुए।

विचार विभाग की अ.भा. बैठक मुंबई के यशवंत भवन में हुई, जिसमें 18 प्रांतों से 55 कार्यकर्ता सहभागी हुए।

प्रांतशः बैठकें

सभी प्रांतों की 18 जनवरी की रात्रि में बैठकें हुईं। जिनमें परिचय, पंजीकरण, आवास व्यवस्था के अतिरिक्त प्रांत में हुए कार्यक्रमों की आपस में जानकारी की गई। इसके अतिरिक्त स्वदेशी पत्रिका की सदस्यता, साहित्य बिक्री व

आगामी प्रांत की योजना के भी सुझाव लिये गये। केंद्रीय पदाधिकारी विभिन्न प्रांतों की बैठकों में उपस्थित रहे।

समानान्तर सत्र

इस सम्मेलन में एक सत्र समानान्तर सत्र का रहा, जिनमें 5 विषय रहे।

1. देशी चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य पर श्री अरुण ओझा व डॉ. बलदेव ने हमारी देशी चिकित्सा का उपयोग व महंगी होती चिकित्सा व्यवस्था से मुक्ति के विषयों पर चिंतन किया।

2. वर्तमान के वैश्विक, आर्थिक मुद्दे पर प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा, प्रो. बी.एम. कुमारस्वामी ने इस समय देश व दुनिया की आर्थिक परिस्थिति पर कार्यकर्ताओं से विस्तार से चर्चा की।

3. कृषि विषय पर श्री सतीश कुमार व श्री मोहन गांववासी ने चर्चा प्रारंभ की। कैसे कृषि को लाभ का विषय बना सकते हैं व शून्य बजट प्राकृतिक खेती, जैविक खेती तथा विषमुक्त खेती कैसे बनें, इस पर सबके अच्छे सुझाव आये।

4. महिला एवं परिवार पर श्रीमति अमिता पत्की ने घर परिवार में स्वदेशी का प्रचलन कैसे बढ़े, इस पर चर्चा की।

5. स्टार्ट-अप एवं स्किल डवलपमेंट पर डॉ. अश्वनी महाजन व श्री कमलजीत ने गत एक वर्ष में हुए प्रयोग तथा भविष्य में इसके महत्व पर सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा की।

स्वदेशी संदेश यात्रा

सम्मेलन के दूसरे दिन मदुरै नगर में एक भव्य स्वदेशी संदेश रैली का आयोजन हुआ। जिसमें सभी प्रांतों के कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने प्रांतों के बैनर व झंडे लेकर लगभग 2 किमी. लंबी यात्रा की। जिसका समापन वहां पर एक सार्वजनिक सभा में हुआ। जिसमें तमिलनाडू के स्थानीय लोगों ने भी अच्छी संख्या में सहभागिता की। इस सभा में तमिल टीवी कलाकार रंगराज पांडे ने हिन्दी व तमिल में भाषण कर समा बांध दिया। इसके अतिरिक्त झारखंड की बहन मधुमति, मजदूर संघ के श्री पवन कुमार, मंच के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख श्री दीपक शर्मा 'प्रदीप', मंच के



सहसंयोजक प्रो. बी.एम. कुमारस्वामी, श्री आर.सुन्दरम व अखिल भारतीय संघर्षवाहिनी प्रमुख अनन्दा शंकर पाणीग्रही ने संबोधित किया।

रात्रि में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया।

विशेष व्याख्यान

तीन विषयों पर विशेष उद्बोधन हुआ — 1. मंच के अ.भा. सहसंयोजक प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा ने वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर चर्चा करते हुए कहा कि विश्व निर्माण में हमारा हिस्सा 2.1 प्रतिशत है, जबकि आबादी में 17.6 प्रतिशत है। वहीं जापान का हिस्सा 10 प्रतिशत है, जबकि विश्व आबादी में केवल 1.6 प्रतिशत है। हमें इंडस्ट्री ग्रोथ के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को भी बढ़ाना होगा। दूसरा विषय डॉ. अश्वनी महाजन का आर्थिक मुद्दों पर सरकार से संवाद का था, जिसमें उन्होंने ई-कॉमर्स, विनिवेश, आर.सी.ई.पी. (मुक्त व्यापार समझौते), डिफोर्टिफिकेशन के बारे में विस्तार से बताया। तीसरा विषय श्री सतीश कुमार का था, जिसका विषय—‘दत्तोपंत ठेंगड़ी: व्यक्तित्व एवं कृतित्व’ था। उन्होंने उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि कम्युनिस्टों का मुखर विरोध करते हुए भी व्यक्तिगत

संबंध उनसे बहुत अच्छे बनाए रखे।

इसके अतिरिक्त डॉ. अमिता पत्की ने पर्यावरण, श्री नागरत्नम नायडू ने कृषि में सफल प्रयोग, श्री योगानंद काले ने स्वदेशी आंदोलन की पूर्व व भावी दिशा पर उद्बोधन किया।

संगठनात्मक

मंच के राष्ट्रीय संगठक श्री कश्मीरी लाल ने 20 जनवरी 2019 को संगठनात्मक पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सभी जिलों में स्वदेशी की इकाई स्थापित करने का आग्रह किया। इसके अलावा उन्होंने विद्यालयों, महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में चल रही गतिविधियों व उनकी नेटवर्किंग की जानकारी भी दी व इसे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। तीनों विषय रोजगार, पर्यावरण व परिवार इस वर्ष भी अपने प्रमुख विषय रहेंगे। उन्होंने 15 फरवरी से 15 मार्च तक अपने-अपने प्रांत व जिलों में संपर्क अभियान लेने की योजना करने का कहा, जिसमें विदेशी-स्वदेशी सामान की सूची का वितरण अवश्य हो। इसके अलावा आगामी वर्ष में 10 नवंबर 2019 से 2020 तक श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की जन्मशताब्दी पर व्याख्यान माला व अन्य कार्यक्रमों को लेने का भी सुझाव दिया। उनका साहित्य पढ़ने, यूट्यूब पर भाषण सुनने

व अन्य तरीके से दत्तोपंत जी के जीवन व विचार को समझने का कार्यकर्ताओं को आग्रह किया।

आगामी कार्यक्रम

संगठनात्मक सत्र में श्री कश्मीरी लाल ने निम्नलिखित आगामी कार्यक्रमों की जानकारी प्रस्तुत की—

1. 15 फरवरी से 15 मार्च— *संपर्क अभियान*
2. *कार्यसमिति बैठक* — 30-31 मार्च 2019 (दिल्ली स्वदेशी कार्यालय)
3. *राष्ट्रीय परिषद बैठक* — 8-9 जून, पुणे (महाराष्ट्र)
4. *स्वदेशी सप्ताह* — 25 सितंबर से 2 अक्टूबर
5. *श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जन्मशताब्दी कार्यक्रम* — 10 नवंबर से प्रारंभ
6. 12 दिसंबर— *बाबू गेनू बलिदान दिवस (स्वदेशी दिवस)*

नई नियुक्तियां

राष्ट्रीय संयोजक श्री अरुण ओझा ने निम्नलिखित नई नियुक्तियों एवं दायित्वों की जानकारी दी—

अखिल भारतीय दायित्व 1. श्री अजय पत्की— अ.भा. सहसंयोजक, 2. श्री सतीश कुमार— अ.भा. विचार विभाग प्रमुख व उत्तर क्षेत्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश संगठक (पूर्ववत), 3. डॉ. राजकुमार चतुर्वेदी— अ.भा. सहविचार विभाग प्रमुख,

4. श्री कमलजीत— अ.भा. सह संपर्क प्रमुख व दिल्ली हरियाणा संगठक (पूर्ववत), 5. श्री वंदेशंकर— अ.भा. सह संघर्षवाहिनी प्रमुख, 6. श्री सरोज मित्र— अब वे केंद्रीय कार्यालय व अर्थ विषयों में मार्गदर्शन करेंगे।

क्षेत्रीय दायित्व: उत्तर क्षेत्र: सह क्षेत्र संयोजक— डॉ. राजकुमार मित्तल, राजस्थान के तीन प्रांत रहेंगे, राजस्थान क्षेत्र संयोजक— डॉ. धर्मैंद्र दुबे, मध्य प्रदेश के तीन प्रांत रहेंगे, मध्य क्षेत्र संयोजक— डॉ. राघवेन्द्र सिंह चंदेल (पूर्ववत)।

प्रांतीय दायित्व : तमिलनाडू—1. श्री आदिशेषन— प्रांत संयोजक, 2. श्री चन्द्रन— प्रचार प्रमुख, 3. श्रीमित उमा मुरुगन— महिला प्रमुख, 4. श्री श्रीधरन— चैन्नई विभाग संयोजक, 5. श्री राजा जी— मदुरै विभाग संयोजक, 6. पूमारन— मदुरै सहविभाग संयोजक

कर्नाटक— 1. श्री महादेवेय्या— राष्ट्रीय परिषद सदस्य, 2. श्री विजय कृष्णा— सह प्रांत संयोजक, 3. प्रो. सत्यनारायण— सह—प्रांत विचार प्रमुख, 4. श्री बाबू जी — प्रांत कोष प्रमुख एवं राष्ट्रीय परिषद सदस्य

तेलंगाना— 1. श्री नागरत्नम नायडू— सह प्रांत संयोजक, 2. श्री सुरेश— रा.प. सदस्य

महाराष्ट्र— महाराष्ट्र को चार प्रांतों में विभाजित किया गया —

1. विदर्भ— प्रांत संयोजक—श्री शिरीश तारे, 2. देवगिरी— प्रांत

संयोजक—श्री प्रताप मूले, 3. पश्चिम महाराष्ट्र— प्रांत संयोजक—श्री सुहास यादव गुजरात — श्री चैतन्य भट्ट—सह प्रांत संयोजक

मध्य प्रदेश — म.प्र. को 3 प्रांतों में विभाजित किया गया — 1. महाकौशल — सह प्रांत संयोजक—श्री चंद्रमोहन साहू, 2. मध्य भारत — प्रांत संयोजक—श्री अरुणेंद्र शर्मा, सह प्रांत संयोजक— श्री अखिलेश तिवारी व श्री बाबूराम जी, 3. मालवा — प्रांत सहसंयोजक— श्री सुरेश बिचौलिया व श्री हरिओम जी

राजस्थान — अब तीन प्रांत होंगे व राजस्थान क्षेत्र कहलायेगा। 1. चित्तौड़ प्रांत— प्रांत संयोजक—श्री सतीश आचार्य, प्रांत सहसंयोजक—श्री भगवती जगेटिया, 2. जोधपुर प्रांत — प्रांत संयोजक—श्री अनिल वर्मा, प्रांत सहसंयोजक— श्री प्रमोद पालीवाल व श्री अनिल शर्मा, 3. जयपुर प्रांत — प्रांत संयोजक—डॉ. शंकर लाल, प्रांत सहसंयोजक— श्री सुरेश खंडेलवाल, सहप्रांत संयोजक—श्री सुदेश सैनी।

हिमाचल प्रदेश — श्री गौतम कश्यप—प्रांत सहसंयोजक

हरियाणा — 1. प्रो. सोमनाथ सचदेव—सह प्रांत संयोजक, 2. श्री संजय सूरु—सह प्रांत संयोजक।

दिल्ली— श्री विकास चौधरी—सह प्रांत संयोजक

प.उ.प्र.— श्री लवकुश मिश्रा—सह प्रांत संयोजक

उत्तराखंड — श्री मोहन गाववासी— रा.प. सदस्य

उड़ीसा— 1. श्री आशुतोष मुखर्जी— रा.प. सदस्य, 2. श्री मनोरंजन राउत— प्रांत संघर्षवाहिनी प्रमुख

बिहार— दो प्रांत रहेंगे— 1. उत्तर बिहार— प्रांत संयोजक—श्री विजय सिंह, 2. दक्षिण बिहार— प्रांत संयोजक—श्री यदुनंदन प्रसाद

प.बंगाल— 1. श्रीमति वाणी सरकार— रा.प. सदस्य व प्रांत महिला प्रमुख, 2. श्री अमिय सरकार— रा.प. सदस्य

समारोप

20 जनवरी को समारोप में सभी कार्यकर्ताओं की योजना की जानकारी देने के बाद राष्ट्रीय संयोजक श्री अरुण ओझा ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि आगामी दिनों में अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का निर्वहन करने हेतु प्रबल जनजागरण करें। उन्होंने कहा कि अब विश्व में हवा उल्टी बहने लगी है। सीमा खोलने की बात करने वाले अब सीमाएं बंद करने में लगे हैं। निर्यात आधारित चीनी अर्थव्यवस्था के विकास की रुदन कथा लिखी जाने वाली है। अब अमरीका, यूरोप में स्वदेशी चलने लगा है। पश्चिम का सूरज डूब रहा है। शीघ्र ही दुनिया में स्वदेशी दृष्टिकोण का बदलाव आने वाला है।

वन्देमातरम् गान के साथ ही तेरहवां राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हो गया। □□

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका आर्थिक सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते हैं। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवेदना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते हैं तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

‘धर्मक्षेत्र’, सेक्टर-8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली-110022

गांव और गरीब के लिए बजट

चूंकि मोदी सरकार का कार्यकाल मई में पूर्ण होगा, यह असमंजस चल रहा था कि क्या यह बजट अंतरिम बजट होगा या पूर्ण बजट, क्या सरकार कुछ घोषणाएं कर पाएगी या नहीं। अंतोत्तवा कार्यवाहक वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2019-20 के लिए अपना बजट 1 फरवरी 2019 को संसद में पेश कर दिया है और किसान, गरीब, लघु उद्योगों और अभावग्रस्तों के कल्याण के बारे में सरकार की मंशा भी जाहिर कर दी है।

पिछले काफी समय से खेती-किसानी के संकट पर चर्चा चल रही है। किसानों की ऋणग्रस्तता और उस पर ऋण माफी की राजनीति, किसानों को उसकी उपज का सही मूल्य दिलाने की बात से लेकर किसान की आमदनी दुगना करने की बात, पिछले कम से कम 1 साल से चर्चा में है। स्वभाविक ही था कि बजट में खेती किसानों के लिए प्रावधान होने थे। गौरतलब है कि ग्रोथ के इस दौर में खेती बहुत पीछे छूटती जा रही है। महंगी खाद और बीज, तथा किसानों को मिलने वाली कृषि पदार्थों की कीमतों में अपर्याप्त वृद्धि ने किसानों का जीवन दूभर कर दिया है। आज स्थिति यह है कि 'नाबार्ड' की ताजा रिपोर्ट के अनुसार गांवों में जहां खेती से आय ही मुख्य हुआ करती थी, वहां भी लोगों को मात्र 23 प्रतिशत ही आय कृषि से होती है और बाकि मजदूरी, वेतन और थोड़ा बहुत उद्यम से होती है। स्थिति यह है कि गांवों में प्रतिव्यक्ति आय सालाना मात्र 23000 रुपये से भी कम है, जबकि शहरों में उसका 12.3 गुणा यानि 2,89,000 रुपये है। इसलिए गांववासियों की आमदनी बढ़ाना और उनको न्यूनतम आय दिलाना आज की जरूरत है। इस बजट में प्रत्येक किसान, जिसके पास दो हेक्टेयर या कम भूमि है, उसे 6000 रुपये सालाना की आमदनी सुनिश्चित करने का प्रावधान इस बजट में किया गया, जो समानता की ओर बड़ा कदम है। इसके लिए 75000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह भी माना जा रहा है कि यह सभी को न्यूनतम बेसिक आमदनी की ओर पहला कदम है।



इस बजट में प्रत्येक किसान, जिसके पास दो हेक्टेयर या कम भूमि है, उसे 6000 रुपये सालाना की आमदनी सुनिश्चित करने का प्रावधान इस बजट में किया गया, जो समानता की ओर बड़ा कदम है।
— डॉ. अश्वनी महाजन





असंगठित क्षेत्र कहें या विश्वकर्मा क्षेत्र, अब वहां लगे लोगों, जिनकी आय 15000 तक है, को 100 रुपया प्रतिमाह जमा करने पर 60 साल की आयु के बाद 3000 प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान भी समानता की ओर एक बड़ा कदम होगा।

बेरोजगारी, आज एक बड़ी समस्या है और गांवों की बेरोजगारी ज्यादा पीड़ादायी है। पिछले सालों से आगे बढ़ते हुए, इस वर्ष मनरेगा के लिए 60000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी ग्रामीण, भूमिहीनों और गरीब किसानों के हालात सुधारते हुए समानता और रोजगार के लिए एक बड़ा कदम माना जा सकता है।

रोजगार बढ़ाने के लिए मनरेगा जैसे प्रयासों पर लंबे समय तक निर्भर नहीं रहा जा सकता। जरूरत है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर जुटाए

जाएं। इस संदर्भ में पिछले बजट में जहां पशुपालन और मत्स्यन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का प्रावधान किया गया था, इस साल पहली बार इनको कृषि की तर्ज पर, चाहे थोड़ी ही लेकिन 2 प्रतिशत तक की छूट पशुपालन और मत्स्यन के लिए गये ऋणों पर मिलने से इन व्यवसायों में रोजगार तो बढ़ने की आस जगी है, साथ ही साथ किसानों की आमदनी भी बढ़ने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। जरूरत इस बात की है कि कृषि के अतिरिक्त पशुपालन और मत्स्यन के अलावा खाद्य प्रसंस्करण, मशरूम उत्पादन, बागवानी, मुर्गी पालन, वाणिकी इत्यादि के विकास के माध्यम से रोजगार के अतिरिक्त अवसर जुटाये जायें और ग्रामीण क्षेत्र में आमदनी बढ़ाई जाये।

असंगठित क्षेत्र कहें या विश्वकर्मा क्षेत्र, अब वहां लगे लोगों, जिनकी आय 15000 तक है, को 100 रुपया प्रतिमाह जमा करने पर 60 साल की आयु के बाद 3000 प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान भी समानता की ओर एक बड़ा कदम होगा। 18 वर्ष की आयु में प्रवेश करने पर तो मात्र 55 रुपये ही प्रतिमाह जमा करने होंगे। स्वास्थ्य बजट में वृद्धि भी एक सराहनीय कदम है।

पुरानी मांग का समाधान

आय कर ही छूट की सीमा को

पांच लाख तक लेकर जाना, एक बड़ी छलांग है, जिससे लगभग 3 करोड़ लोगों को लाभ होगा। साथ ही साथ वेतन भोगियों के लिए मानक कटौती 40,000 से 50,000 रुपये करना भी राहत देने वाला कदम है। ग्रेच्यूटी की सीमा 10 लाख से 30 लाख किया जाना, पूंजीगत लाभों को एक घर से बढ़ाकर 2 घरों तक करना भी मध्यम वर्ग के निवेश को प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे गृहनिर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा।

जीएसटी में पंजीकृत लघु उद्योगों को 2 प्रतिशत ब्याज में छूट, इतिहास में पहली बार हुआ है।, जो सराहनीय भी है। 'जैम' जो सरकारी खरीद के लिए ऑनलाइन पोर्टल है, को अब केंद्र सरकार के उद्यमों के लिए भी खोले जाने से लघु उद्यमों को अपने समान को बेचने में आसानी होगी।

रक्षा बजट को 3 लाख करोड़ पर ले जाना, रेलवे समेत इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रावधान, प्रदूषण कम करने के लिए अक्षय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन, भ्रष्टाचार पर चोट आदि सराहनीय कदम है। लेकिन इन खर्चों से बजट डगमगा सकता था। लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे राजकोषीय घाटे को भी जीडीपी के मात्र 3.4 प्रतिशत तक रखा जाना, वर्तमान बजट की विशेषता है।

पिछले वर्ष के कुल बजट आकार 24,42,213 करोड़ रुपये से बढ़ाकर इस साल का बजट आकार 27,84,200 करोड़ का है, (यानि 3,41,987 करोड़ रुपये ज्यादा) लेकिन इसके बावजूद राजकोषीय घाटा पिछले साल के संशोधित अनुमानों के आधार पर जीडीपी के 3.4 प्रतिशत के बराबर ही आकलित किया गया है। यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि आगामी साल में इस साल की तुलना में कर राजस्व 2 लाख 52 हजार करोड़ ज्यादा आकलित किया गया है, जो एक रिकॉर्ड है। □□

आम आदमी का बजट—2019-20



इस आलेख का प्रारम्भ मैं हमारे प्रधानमंत्री के कथन से करता हूँ “यह बजट गरीब को शक्ति देगा, किसान को मजबूती देगा तथा अर्थव्यवस्था को नया बल देगा। हमारी सरकार की योजनाओं ने देश के हर व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है” वास्तव में यह कथन सही है। इस बजट से समाज का प्रत्येक वर्ग खुश है। सबको यह लग रहा है कि मेरे मन की बात सुनी गयी है। आम आदमी को लग रहा है— मंहगाई कम हुई है, विकास की दर बढ़ रही है। उसके घर में बिजली, गैस आसानी से उपलब्ध है तथा नौकरी-पेशा लोगों को आयकर में भी राहत मिल गयी है। किसान को लग रहा है कि उसे उसकी ऊपज का उचित मूल्य मिलेगा। खेती बाड़ी,

पशुपालन, मत्स्यपालन करना अब और अधिक सुविधाजनक हो जायेगा, किसान के खाते में प्रतिवर्ष रु. 6000 आ जायेंगे। गृहणियों को लग रहा है कि रसोई चलाना अब और अधिक सुविधाजनक हो जायेगा। उद्यमियों को सस्ता ऋण मिलेगा तथा उनके उत्पादों की बिक्री बढ़ेगी। देश में आधारभूत ढांचे का विकास होगा। लोगों को समाजिक सुरक्षा उपलब्ध होगी। देश के सुरक्षा प्रहरियों को ‘एक रैंक-एक पेंशन’ का लाभ मिलेगा। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को प्रतिवर्ष पेंशन मिलेगी आदि।

बजट प्रस्तावों की यदि विस्तार में चर्चा करें, तो मैं सबसे पहले-किसान की बात करूंगा। बजट में 70 वर्षों में पहली बार यह घोषणा की गयी है कि छोटे एवं सीमांत किसान जिनकी भूमि 2 हेक्टर से कम है, उनके बैंक खाते में प्रतिवर्ष रु 6000 सीधे स्थानान्तरित कर दिये जायेंगे। यह योजना दिसंबर 2018 से लागू कर दी गयी है। मार्च 2019 तक प्रत्येक ऐसे किसान के खाते में 2000 रु. आ जायेगे, यह एक सीधा लाभ है। भले ही राशि छोटी है लेकिन किसान को नकद राशि मिलने का एक अलग महत्व होता है। इस योजना का 12 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से रु. 75000 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। पशुपालन एवं मछली पालनों को के.सी.सी. से लोन मिल सकेगा तथा इसके लिए ऋण पर लगने वाले ब्याज पर 2 प्रतिशत अनुदान देय होगा। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के लिए रु. 750 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। बजट में रु. 3000 करोड़ फसल बीमा योजना के लिए रखे गये हैं। 22 फसलों का एम.एस.पी. लागत से डेढ़ गुणा निर्धारित किया गया है।

आयकर में राहत (मध्यम वर्ग को लाभ) – आयकर में छूट देकर रु 5 लाख तक की आय को करमुक्त कर दिया गया है। इसको निम्न तालिका से समझा जा सकता है—

विवरण	आय (2019-20)	विवरण	आय (2019-20)
मूल छूट की सीमा	250000 रु.	धारा 87A u/s में छूट	250000 रु.
स्टैन्डर्ड डिडक्शन u/s 16	50000 रु.	u/s 80C में छूट	150000 रु.
छूट u/s 80 CCD (NPS)	50000 रु.	होम लोन ब्याज u/s-40	200000 रु.
बचत पर ब्याज u/s 80 TTA	10000 रु.	छूट u/s 80 D Medical Ins. Pr.	50000 रु.
		कुल आय	10,10,000 रु.

2022 तक स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर नया भारत आतंकवाद, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, कुपोषण, गरीबी, निरक्षरता, गंदगी आदि से मुक्त होगा। आओ हम सब मिलकर इस महान राष्ट्र को आगे बढ़ायें, तथा महात्मा गांधी, राममनोहर लोहिया तथा पं. दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करें।
— डॉ. विजय वशिष्ठ

तालिकानुसार कहा जा सकता है कि यदि वेतन भोगी कर्मचारी इस तालिकानुसार बचत करता है, तो उसे रु 101000 की आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को कर्ममुक्त ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख बढ़ाकर 20 लाख कर दी गयी। पोस्ट ऑफिस/बैंक में जमा राशि में ब्याज पर टीडीएस की छूट 10000 से बढ़ाकर रु 40000 कर दी गयी। किराये से होने वाली आय पर छूट की सीमा 1.8 लाख से बढ़ाकर रु 2.40 लाख कर दी गयी, इन सबसे मध्यम वर्ग को लाभ मिलेगा।

महिला सशक्तिकरण: बजट में महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। उज्जवला योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ एलपीजी कनेक्शन निःशुल्क दिये जायेंगे। इस वर्ष महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा के लिए रु. 350 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुद्रा लोन में 75 प्रतिशत महिलायें भागीदार हैं। महिलाओं को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जा रहा है। बाल विकास के लिए रु. 4227 करोड़ का प्रावधान किया गया है। महिला स्वास्थ्य के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं।

छोटे उद्यमी: छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने जीएसटी के तहत 5 करोड़ से कम व्यापार पर 3 माह में एक ही रिटर्न भरना होगा। छोटे उद्यमियों से सरकारी खरीद का 25 प्रतिशत भाग खरीदा जायेगा। जीएसटी पंजीकृत कारोबारियों को लोन पर 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जायेगी। सस्ते घर के लिए टैक्स छूट मार्च 2020 तक बढ़ा दी गई है। 90 प्रतिशत वस्तुओं पर जीएसटी की दर 0-5 प्रतिशत की रेंज में है।

असंगठित मजदूर: मनरेगा के लिए रु. 60000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो ग्रामीण, भूमिहीनों और गरीब किसानों की हालत सुधारते हुए रोजगार के लिए एक बड़ा कदम माना जा सकता है।

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, जिनकी मासिक आय रु 15000 प्रति माह या इससे कम है, को 60 वर्ष की आयु के बाद रु 3000 प्रतिमाह पेंशन दी जायेगी। जिसके लिए रु 100 प्रतिमाह का योगदान देना होगा।

आधारभूत ढांचे का विकास: बजट में भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत ढांचे के विकास के लिए अनेक प्रावधान किये गये हैं। रेलवे के लिए रु 64587 करोड़ का आवंटन किया गया है। 100 से अधिक ओपरेशनल एयरपोर्ट विकसित किये जायेंगे। देश में प्रतिदिन 27 किमी. राष्ट्रीय राजमार्ग बनाये जाने का उल्लेख किया गया है। ऑटो मोबाइल क्षेत्र में विद्युत संचालित वाहनों के लिए रास्ता साफ किया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में रु 3500 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। आयुष्मान योजना का लाभ 50 करोड़ गरीब लोगों को मिलेगा। 1 लाख डिजिटल गांव बनाये जायेंगे।

सुरक्षा: सरहदें सुरक्षित रखने के लिए रक्षा बजट में 7.01 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। वन रेंक-वन पेंशन योजना लागू करने के लिए 35 हजार करोड़ बांटे गये हैं। रक्षा बजट में रु 5000 करोड़ की वृद्धि की गयी। 25 परियोजना का आगे बढ़ाया जायेगा।

10 वर्ष का विजन: बजट में आगामी 10 वर्षों (यानि 2030 तक) का विजन 10 बिन्दुओं में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें यह कहा गया है कि -

1. अगली पीढ़ी के लिए आधारभूत ढांचे का विकास किया जायेगा।
2. डिजिटल अर्थव्यवस्था का निर्माण।
3. प्रदूषण मुक्त भारत बनाया जायेगा।
4. मैक इन इंडिया के अंतर्गत देश में रक्षा एवं चिकित्सा उपकरणों का विकास किया जायेगा।
5. सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत नदियों एवं जलाशयों की सफाई।
6. 2022 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजा जायेगा।
7. खाद्यान में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर,

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जायेगी।

8. 2030 तक आयुष्मान भारत का निर्माण किया जायेगा।
9. भारत में ऐसे अधिकारियों की टीम होगी, जो जनता के प्रति दोस्ताना (टीम) व्यवहार करेंगे, अर्थात् कम प्रशासन तथा ज्यादा सुशासन की नीति को अपनाया जायेगा। तथा
10. 2030 तक देश में गरीबी, कुपोषण, गंदगी और निरक्षरता को समाप्त कर दिया जायेगा।

दस वर्ष के विजन में भारत को 10 खरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना दिखाया गया है।

बजट की समीक्षा से यह ज्ञात होता है कि यह बजट दूरगामी प्रभावों वाला बजट है। बजट प्रावधानों में वृद्धि के बावजूद राजकोषीय घाटा जीडीपी का मात्र 3.4 प्रतिशत तक ही होगा। यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगा। भारत की अर्थव्यवस्था चीन की अर्थव्यवस्था की तुलना में अधिक (7.5 प्रतिशत) गति की दर से बढ़ रही है। देश में कर संग्रह बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार घट रहा है। भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं। बैंकों का धन लूटने वाले भगोड़ों को भारत लाया जा रहा है। बेनामी संपत्तियां जब्त की जा रही हैं। प्राकृतिक संसाधनों की स्पैक्ड्रम नीलामी की जा रही है। करोबार सुगमता रैंकिंग में भारत 23 स्थान की छलांग लगाकर 37वें स्थान पर आ गया है। मुद्रास्फीति की दर 10 प्रतिशत से घटकर 4 प्रतिशत रह गयी है। इससे यह लगता है कि हमारा देश तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। 2022 तक स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर नया भारत आतंकवाद, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, कुपोषण, गरीबी, निरक्षरता, गंदगी आदि से मुक्त होगा। आओ हम सब मिलकर हमारे इस महान राष्ट्र को आगे बढ़ायें, तथा महात्मा गांधी, राममनोहर लोहिया तथा पं. दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करें। □□

(लेखक प्रख्यात अर्थशास्त्री व सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं।)

वे परियोजनाएं जो मील का पत्थर बनीं

आजादी के बाद देश में पहली बार बहुमत वाली एनडीए सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं, जो जनता के लिए तो हितकर हैं ही, आने वाले वर्षों में वे मील के पत्थर साबित होंगे। हालांकि सरकार द्वारा शुरू की गई कई एक योजनाएं अपेक्षा के ठीक अनुरूप जमीन पर उतारने में शत प्रतिशत सफलता नहीं मिल पाई है, जिसे लेकर कई मोर्चों पर सरकार को कठघरे में खड़ा किया जा रहा है, पर दो दर्जन से अधिक योजनाएं ऐसी हैं जिसका लाभ सीधे तौर पर जनता को मिलने लगा है, वहीं ये योजनाएं भविष्य के भारत का खाका भी प्रस्तुत करने में पूरी तरह समर्थ रही हैं। 12 करोड़ से अधिक कम जोत के किसानों को सीधे नगद सहायता देने की बात हो अथवा मध्यम वर्ग के लोगों को आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 5 लाख तक करने जैसा साहसिक कदम उठाकर नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली राजग सरकार ने 'जो कहा, सो किया' को चरितार्थ करते हुए अपनी प्रतिबद्धता प्रकट कर दी है।

आजादी के बाद औद्योगिकरण के रास्ते देश को आगे ले जाने के लिए तत्कालीन सरकारों द्वारा ढेर सारे स्लोगन दिए गए, नई-नई योजनाओं को शुरू करने का दावा किया गया, पर ढेर सारी योजनाएं कागजों में ही दौड़ती रही। एक ऐसी ही योजना जिसका शुभारम्भ देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं. नेहरू ने किया था। पचास साल तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। 2014 में राजग सरकार के गठन के बाद उस काम में तेजी आई और हाल ही में उसी परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अपनी बात रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा भी कि पहले विकास व निर्माण परियोजनाओं को शुरू करने में ही सालों लग जाते थे, पर वर्तमान सरकार की कार्यशैली का नतीजा है कि आज के समय में शुरू किये गये कार्य तय तिथि के पहले ही पूरे हो जा रहे हैं।

पांच साल से कम के समय में भारत ने विकास के पथ पर एक लंबी दूरी तय कर ली है। हम ऐसी ही कुछ परियोजनाओं, जिसका लाभ सीधे तौर पर जनता को मिल रहा है, का लेखा-जोखा प्रस्तुत कर रहे हैं, जिन्हें मोदी सरकार ने शुरू किया और पूरा किया या पुरानी



आजादी के बाद
औद्योगिकरण के रास्ते
देश को आगे ले जाने के
लिए तत्कालीन सरकारों
द्वारा ढेर सारे स्लोगन
दिए गए, नई-नई
योजनाओं को शुरू करने
का दावा किया गया, पर
ढेर सारी योजनाएं
कागजों में ही दौड़ती
रही।

— अनिल तिवारी



परियोजनाओं को जीवनदान देकर उन्हें अंजाम तक पहुंचाया।

किशन गंगा प्रोजेक्ट: सबसे पहले बात करते हैं किशन गंगा प्रोजेक्ट की। 330 मेगावाट के इस हाईड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट का कार्य 2007 में शुरू हुआ था। हालांकि तब इस कार्य को 2014 तक पूरा कर देना तय हुआ था, लेकिन भारत-पाकिस्तान विवाद के चलते इस प्रोजेक्ट के पूरा होने में विलंब होता गया। इसे लेकर पाकिस्तान की ओर से विरोध किया गया था। परंतु काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने भारत को निर्माण कार्य जारी रखने की अनुमति दे दी। 19 मई 2018 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशन गंगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया।

भवन-भैरो पैसेंजर रोपवे: 24 दिसंबर 2018 को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने भवन भैरो घाटी पैसेंजर रोपवे का उद्घाटन किया। एक घंटे में 800 यात्रियों को ले जा सकने की क्षमता वाले इस रोपवे प्रोजेक्ट ने पहले के यात्रा समय को एक घंटे से घटाकर आधा घंटा कर दिया। इस प्रोजेक्ट से सबसे ज्यादा लाभ उम्रदराज और दिव्यांग श्रद्धालुओं को पहुंचा। जिन्हें पहले 6600 फीट की सीधी चढ़ाई करनी पड़ती थी।

कोल्लम बाईपास: मेवाराम और कवनड़ को जोड़ने वाले केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त उपक्रम का प्रस्ताव 47 साल पहले 1972 में रखा गया था। 1993 में 3 किलोमीटर का निर्माण हुआ और 1.5 किलोमीटर का निर्माण 1999 में हुआ। निर्माण कार्य का तीसरा फेज मई 2015 में शुरू हुआ और 2019 में प्रोजेक्ट का बाकी बचा 8.6 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूरा हुआ। 13.4 किलोमीटर लंबे इस बाईपास का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2019 को किया था।

990 एकड़ क्षेत्रफल में बना पाक्योंग एयरपोर्ट एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है। यह देश का सौवां ऑपरेशनल एयरपोर्ट है। इसके निर्माण से पहले सिक्किम अकेला ऐसा राज्य था जहां कोई क्रियाशील एयरपोर्ट नहीं था।

बाणसागर नहर परियोजना: इस नहर परियोजना में 3 राज्यों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की हिस्सेदारी है। तीनों राज्यों के बीच पानी और पावर के विभाजन की हिस्सेदारी है। बांध के प्रोजेक्ट का प्रस्ताव 1956 में रखा गया था, तब इसे डिम्बा प्रोजेक्ट नाम दिया गया था। इसे लेकर 3 राज्यों के बीच 1973 में समझौता हुआ और 1978 में इसका कार्य शुरू हो सका। 15 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री मोदी ने 425 मेगावाट पावर के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। इस नहर परियोजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 1500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, मध्य प्रदेश में 2490 वर्ग किलोमीटर और बिहार में 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की सिंचाई होती है।

बोगीबील रेल पुल: असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना बोगीबील पुल रेलवे रोड का संयुक्त पुल है। अपनी तरह का सबसे बड़ा यह पुल 4.94 किलोमीटर लंबा है और धेमाजी व डिब्रुगढ़ जिलों को जोड़ता है। इस पुल का निर्माण कार्य 2002 में शुरू हुआ था और तब इसके पूरे होने में 6 साल का समय लगने की उम्मीद थी, लेकिन धन की कमी और कई कारणों के चलते लंबे

समय तक इसका काम रुका रहा। 25 दिसंबर 2018 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पुल का उद्घाटन किया।

पाक्योंग एयरपोर्ट (सिक्किम): 990 एकड़ क्षेत्रफल में बना पाक्योंग एयरपोर्ट एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है। यह देश का सौवां ऑपरेशनल एयरपोर्ट है। इसके निर्माण से पहले सिक्किम अकेला ऐसा राज्य था जहां कोई क्रियाशील एयरपोर्ट नहीं था। हालांकि 2012 में यहां एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के चलते प्रोजेक्ट टल गया। इसके बाद अक्टूबर 2015 में कार्य फिर शुरू हुआ। 24 सितंबर 2018 को इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। 4 अक्टूबर 2018 को यहां से पहली व्यवसायिक फ्लाइट ने उड़ान भरी।

ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे: ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे के जरिए दिल्ली से 50 हजार ट्रकों को डाइवर्ट करने की उम्मीद है। इससे दिल्ली की वायु में 27 फीसदी तक शुद्धता आने का अनुमान है। नवंबर 2015 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। फरवरी 2016 में इसका कार्य शुरू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने इसका निर्माण पूरा होने की तारीख जुलाई 2018 तय की थी। कई आरोप के बावजूद प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा हो गया और 27 मई 2018 को इसका उद्घाटन हुआ।

कोटा चंबल पुल: कोटा में 8 किलोमीटर लंबे इस केबल ब्रिज का प्रस्ताव 2006 में रखा गया था। इसके निर्माण के लिए 40 महीने का समय नियत किया गया था और 2012 में इसकी शुरुआत होनी थी कई दिक्कतों के चलते इसके निर्माण में देरी होती रही। 19 अगस्त 2017 को प्रधानमंत्री मोदी ने इस पुल का उद्घाटन किया।

नमामि गंगा कार्यक्रम: गंगा को

शुद्ध करने के लिए तैयार किया गया यह कार्यक्रम केंद्र सरकार ने जून 2014 में प्रारंभ किया था। गंगा शुद्धता के साथ प्रदूषण उन्मूलन भी इस कार्य का प्रमुख लक्ष्य था। नमामि गंगे कार्यक्रम की घोषणा 20 हजार करोड़ के बजट के साथ की गई थी। जिसमें सीवरेज, ट्रीटमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिवर फ्रंट विकास, रिवर्स फेस क्लीनिंग, बायोडायवर्सिटी, जन जागरूकता और गंगा ग्राम, इसका हिस्सा है।

मुंदा एलएनजी टर्मिनल: यह टर्मिनल हर साल 5 मिलियन टन एलएनजी संभालने की क्षमता रखता है। इसके साथ यह प्रोजेक्ट भारत के गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की ओर एक बेहतर कदम है। सितंबर 2015 में इस टर्मिनल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और इसका उद्घाटन अक्टूबर 2018 में किया गया।

राष्ट्रीय कैंसर संस्थान (हरियाणा): हरियाणा का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान देश का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल है। 2035 करोड़ रुपये की लागत से बने इस संस्थान में 710 बेड की क्षमता है। इसमें 200 बेड रिसर्च प्रोटोकॉल के तहत कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए आरक्षित है। जनवरी 2019 में इस संस्थान का उद्घाटन किया गया। अस्पताल की सभी ओपीडी तीन फेज में शुरू होगी। पहले फेज में 250 बेड होने की संभावना है और दिसंबर तक इंडोर एडमिशन 500 तक पहुंच जाएगा।

सरदार वल्लभभाई पटेल अस्पताल (अहमदाबाद): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2019 को इस अस्पताल का उद्घाटन किया। यह



हरियाणा का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान देश का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल है। 2035 करोड़ रु. की लागत से बने इस संस्थान में 710 बेड की क्षमता है। इसमें 200 बेड रिसर्च प्रोटोकॉल के तहत कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए आरक्षित है।

अस्पताल सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। 750 करोड़ रुपये की लागत से बना यह आधुनिक अस्पताल अहमदाबाद में है। 18 मंजिला अस्पताल की क्षमता 1600 बेड की है।

सोलापुर-तुलजापुर-उस्मानाबाद राजमार्ग: 9 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री ने चार लेन वाले सोलापुर-तुलजापुर-उस्मानाबाद, राजमार्ग का उद्घाटन किया। 58 किलोमीटर लंबे इस राजमार्ग का निर्माण कार्य 2014 में प्रारंभ हुआ था। 972.50 करोड़ रुपये की लागत से यह राजमार्ग 4 साल में बनकर तैयार हो गया।

दूसरा झाड़सुगुड़ा एयरपोर्ट: वीर सुरेंद्र साय हवाई अड्डे के रूप में नामित दूसरे झाड़सुगुड़ा हवाई अड्डे का उद्घाटन 22 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। हालांकि एयरपोर्ट को राज सरकार से 2012 में ही अनुमति मिल गई थी लेकिन पूरे एयरपोर्ट के निर्माण के लिए प्रोजेक्ट

को टर्मिनल बिल्डिंग और एयर ट्रेफिक कंट्रोल टावर के साथ 275.75 एकड़ भूमि की अतिरिक्त आवश्यकता थी। 30 जुलाई 2014 को उड़ीसा सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच समझौता हुआ। पर्यावरण और वन मंत्रालय भी इसके लिए तैयार हो गया। 2018 में डीजीसीए ने झाड़सुगुड़ा एयरपोर्ट को राज्य के दूसरे फंक्शनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया।

वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे: छह लेन वाला यह एक्सप्रेस-वे 135.6 किमी. लंबा है। कुंडली से पलवल तक जाने वाले इस एक्सप्रेस-वे में 52 अंडरपास, 23 ओवर पास और 10 टोल प्लांट्स हैं। इसका प्रस्ताव वर्ष 2003 में रखा गया था, लेकिन वर्ष 2016 तक इसमें देरी होती रही। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया और अप्रैल 2016 में ही सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने इसके एक भाग का उद्घाटन उसी समय कर दिया था, पर पूरे एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य नवंबर 2018 में पूरा हो गया।

वाराणसी मल्टी मॉडल पोर्ट: जल मार्ग विकास परियोजना के तहत निर्मित अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कोलकता और हल्दिया बंदरगाहों को सीधे संपर्क प्रदान करता है। यह परियोजना एक साथ दो जहाजों को लंगर डालने और 1.2 एमटीपीए की कार्गो हैंडलिंग क्षमता रखती है। अन्य सुविधाओं में पार्किंग एरिया, क्रेडिट ट्रांजिट शेड, एक डिपॉजिट एरिया और एक फ्लोटिंग जेटी (तैरता घाट) है। वाराणसी मल्टी मॉडल पोर्ट का निर्माण कार्य 2016 में शुरू हुआ था और नवंबर 2018 तक इसे पूरा कर लिया गया। □□

किसानों के लिए पैसा कहां से आएगा

अमेरिकी संसद के लिए न्यूयॉर्क से चुनी गई युवा सांसद एलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज सामाजिक अधिकारों की मजबूत पैरोकार हैं। वह कॉरपोरेट कर कटौती को चुनौती देने वाली प्रमुख आर्थिक नीतियों पर सवाल उठा रही हैं और स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास के लिए अधिक बजटीय आवंटन की मांग कर रही हैं। हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में जब उन्होंने बताया कि लोगों के लिए अच्छे अर्थशास्त्र का क्या मतलब होना चाहिए, तब पत्रकार एंडरसन कूपर ने उनसे पूछा, इन सबके लिए आप धन कहां से लाएंगी? अब भारत पर नजर डालते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु की सरकारों द्वारा करीब 2.3 लाख करोड़ रुपये की कर्जमाफी की घोषणा की गई है। 2019 के चुनाव से पहले कई और राज्य सरकारों द्वारा ऐसी कर्जमाफी की घोषणा की संभावना है, जबकि रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कृषि ऋण माफी पर सावधानी बरतते हुए कहा कि इससे ऋण अनुशासनहीनता को बढ़ावा मिलेगा। बैंक ऑफ अमेरिका की निवेश बैंकिंग शाखा मेरिल लिंच ने चेतावनी दी थी कि कृषि ऋण माफी जीडीपी के दो प्रतिशत के बराबर होगी।

एक सवाल बार-बार पूछा जाता है कि किसानों की कर्जमाफी के लिए पैसा कहां से आएगा। एक बार एक टीवी शो पर एंकर ने बहुत स्पष्टता से पूछा, राज्यों की तंग राजकोषीय स्थिति को देखते हुए क्या आपको यह चिंता नहीं सताती कि कृषि कर्जमाफी की होड़ सारी गणना को गड़बड़ा देगी? क्या कृषि कर्जमाफी पहले से ही एक बुरी मिसाल कायम नहीं कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप अन्य कल्याणकारी योजनाएं पीछे रह जाएंगी?

हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, वह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई 36,359 करोड़ रुपये की कृषि कर्जमाफी योजना थी। अपने जवाब में मैंने कहा कि बेशक हर कर्जदार



भारत में भी किसानों के लिए पैसा उसी स्रोत से आएगा, जहां से सातवें वेतन आयोग के बजटीय आवंटन के लिए आता है, जहां से कॉरपोरेट छूट के लिए आता है और जहां से बड़े पैमाने पर बैंक एनपीए को बढ़े खाते में डालने के लिए आता है।

— देविन्दर शर्मा



किसान तक इसका लाभ नहीं पहुंचेगा, फिर भी इस कर्जमाफी से 44 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। यह छोटी संख्या नहीं है और लाभान्वितों की संख्या आयरलैंड की आबादी से भी ज्यादा है। अब इसकी तुलना वर्ष 2012 से 2014 के बीच मुट्टी भर बिजली वितरण कंपनियों को दी गई 72,000 करोड़ रुपये की कर्जमाफी से करें और आश्चर्यजनक रूप से तब कर्ज अनुशासनहीनता के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा गया और न ही किसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पास बिजली वितरण कंपनियों की कर्जमाफी की क्षमता नहीं है।

एक अन्य बिजनेस चैनल पर मुझे बताया गया कि कर्जमाफी एक घातक जहर है। यह वास्तविक मुद्दे को संबोधित करने का एक गलत तरीका है और नैतिक खतरे की ओर ले जाता है। अपने जवाब में मैंने रिजर्व बैंक के दस्तावेज का हवाला दिया, जो कहता है कि अप्रैल, 2014 से अप्रैल, 2018 की चार वर्षों की अवधि में 3.16 लाख करोड़ रुपये के कॉरपोरेट कर्ज को बड़े खाते में डाला गया। 30 सितंबर को संसद में दिए गए एक अन्य बयान के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अलावा, केवल 528 उधारकर्ता थे, जिनके पास गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) 6.28 लाख लाख करोड़ रुपये थी, जबकि उनमें से 95 फीसदी एक हजार करोड़ रुपये के डिफॉल्टर थे। 2.3 लाख करोड़ रुपये की कृषि कर्जमाफी योजना पूरी तरह से लागू होती है, तो अनुमानतः 3.4 करोड़ कृषक परिवारों को फायदा होगा। ऐसे में कॉरपोरेट कर्जमाफी का कोई तुक नहीं है, जिससे केवल कुछ ही कंपनियों को फायदा होता है। मैंने पूछा कि कैसे कोई संवेदनशील अर्थशास्त्री भारी कॉरपोरेट कर्जमाफी को सही ठहरा सकता है और गरीब किसानों पर निशाना साध सकता है। वास्तव में कॉरपोरेट



कॉरपोरेट घरानों को भारी कर्जमाफी को लेकर आर्थिक व्यवहार्यता के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा जाता है, जबकि कृषि ऋणों पर अनावश्यक गर्मी पैदा की जाती है, जो पूर्वाग्रहपूर्ण आर्थिक सोच को दर्शाती है।

कर्ज का ढेर बढ़ता जा रहा है। सकल एनपीए 11.2 फीसदी की दर से बढ़कर 2017-18 में 10.39 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है और मात्र 40,400 करोड़ रुपये ही वसूले गए हैं।

कॉरपोरेट घरानों को भारी कर्जमाफी को लेकर आर्थिक व्यवहार्यता के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा जाता है, जबकि कृषि ऋणों पर अनावश्यक गर्मी पैदा की जाती है, जो पूर्वाग्रहपूर्ण आर्थिक सोच को दर्शाती है। हैरानी की बात है कि जब भी मैं आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के रूप में पिछले 10 वर्षों में उद्योगों को दिए गए 18.60 लाख करोड़ रुपये का सवाल उठाता हूं तो एक चुप्पी छा जाती है।

बहुत कम लोगों को पता है कि वर्ष 2008-09 में सरकार ने वैश्विक आर्थिक मंदी के समय उद्योग के लिए 1.86 लाख करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पैकेज शुरू किया था, जो अब भी जारी है और इसके लिए लगातार दस साल भुगतान किया गया है। सरल शब्दों में कहें, तो उद्योग घरानों को हर साल प्रत्यक्ष आय सहायता मिल रही है और किसी ने कभी प्रोत्साहन पैकेज से होने वाली राजकोषीय अनुशासनहीनता पर कोई सवाल नहीं किया है। किसी ने कभी यह नहीं पूछा कि 18.60 लाख करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए पैसा कहां से आया।

अब सातवें वेतन आयोग को लें।

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने संसद में कहा कि इससे सरकार पर प्रति वर्ष 1.02 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा। इससे केंद्र सरकार के 45 लाख कर्मचारियों और 50 लाख पेंशनरों को फायदा होगा। अगर इसे पूरे देश में राज्य सरकारों द्वारा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में लागू किया जाएगा, तो कुल वार्षिक बोझ बढ़कर 4.5 से 4.8 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा, यह कहना है क्रेडिट सुइस बैंक के अध्ययन का। इस पर किसी ने कभी कोई सवाल नहीं किया कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा और न ही किसी ने कहा कि इससे राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। लेकिन किसानों की कर्जमाफी या अन्य प्रत्यक्ष सहायता पहल की बातें करें, तो राजकोषीय घाटे पर बात करने में मीडिया अति सक्रियता दिखाता है।

अमेरिका में जैसा कि एलेक्जेंड्रिया ने बताया, पैसा वहीं से आएगा, जहां से भारी कॉरपोरेट छूट के लिए पैसा आता है, जहां से रक्षा बजट के लिए आता है, जहां से अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए आता है। भारत में भी किसानों से लिए पैसा उसी स्रोत से आएगा, जहां से सातवें वेतन आयोग के बजटीय आवंटन के लिए आता है, जहां से कॉरपोरेट छूट के लिए आता है और जहां से बड़े पैमाने पर बैंक एनपीए को बड़े खाते में डालने के लिए आता है। □□

नयी तकनीकों में निवेश की जरूरत

रामायण में प्रसंग आता है कि भगवान राम पुष्पक विमान पर आरुढ़ होकर लंका से अयोध्या पहुंचे। यह शोध का विषय है कि यह विमान आकाश में चलने वाला वायुयान था अथवा पानी पर चलने वाला जहाज। बहरहाल पूर्व में भारत में वायुयान चलते भी हों तो भी इस तथ्य को नहीं नकारा जा सकता कि बीती दो शताब्दी में तकनीकी दृष्टि से हम बहुत पीछे रह गये हैं। पिछली शताब्दी के प्रमुख तकनीकी अविष्कार अमरीका में हुए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमरीका में एटम बम का निर्माण हुआ, जोकि बाद में परमाणु उर्जा के रूप में विकसित हुआ। सत्तर के दशक में अमरीका में कम्प्यूटर का अविष्कार हुआ, जो आज के दिन मोबाइल फोन में भी एन्ड्राईड के रूप में चल रहा है। नब्बे की दशक में इन्टरनेट का अविष्कार हुआ। इन अविष्कारों की बदौलत अमरीका आज विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन चुका है। अपने नये तकनीकी अविष्कारों को महंगा बेचकर अमरीका भारी रकम कमा रहा है। जैसे अमरीकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडो सॉफ्टवेयर बनाने में लागत 1 डॉलर से भी कम आती है, जबकि वह कंपनी विश्व बाजार में लगभग 10 डॉलर में बेच रही है। अपने उच्च तकनीकी माल को महंगा बेचकर और भारत से बासमती चावल और गलीचों को सस्ता खरीदकर अमरीका समृद्ध हो गया है। इस विपरीत परिस्थिति में फिर भी विश्व बाजार में भारत टिका हुआ है, क्योंकि भारत में गरीबी है और श्रम सस्ता है। कुछ माल में श्रम का हिस्सा ज्यादा होता है, जैसे बासमती चावल अथवा गलीचों के उत्पादन में श्रम अधिक लगता है। इन श्रम-सघन माल की उत्पादन लगत भारत में कम आती है। इन माल को भारत बेचता है। भारत और अमरीका के बीच व्यापार अमरीका की उच्च तकनीकों और भारत के सस्ते वेतन पर अबतक टिका हुआ है। अमरीका उच्च तकनीकों के माल हमें बेचता है और हम सस्ते वेतन से बने माल अमरीका को बेचते हैं।



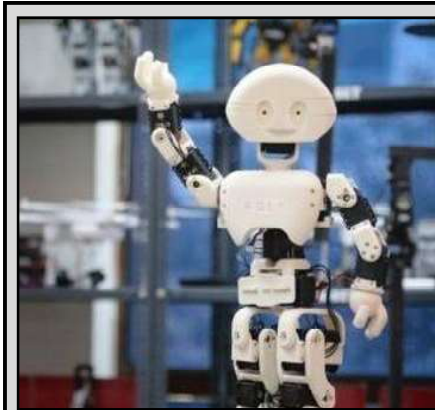
भारत और अमरीका के बीच व्यापार अमरीका की उच्च तकनीकों और भारत के सस्ते वेतन पर अबतक टिका हुआ है। अमरीका उच्च तकनीकों के माल हमें बेचता है और हम सस्ते वेतन से बने माल अमरीका को बेचते हैं।

— डॉ. भरत झुनझुनवाला



वर्तमान तकनीकी अविष्कारों से भारत के सस्ते वेतन का जो लाभ है वह समाप्त प्राय होता जा रहा है। अमरीका एवं विकसित देशों में रोबोट का प्रचलन बढ़ रहा है। ऐसी दुकाने बनी हैं, जिसमें आप अपने मनचाहे प्रकार का हम्बर्गर मशीन से बनवा सकते हैं। आप उसमें लिख सकते हैं कि आपको उसमें कौन सा सॉस चाहिए, चीज कितनी चाहिए, कितना नर्म चाहिए, कितना हार्ड चाहिए, इत्यादि। मशीन वैसा हम्बर्गर बनाकर दे देती है। इस उत्पादन में मनुष्यकर्म की कोई भूमिका नहीं होती। इसी प्रकार कार बनाने के कारखानों में रोबोटों का उपयोग होने लगा है। मुट्ठी भर श्रमिक कार का उत्पादन कर देते हैं। चीन में एक फैक्ट्री बनी है जिसमें एक भी श्रमिक नहीं है। कच्चे माल को मशीन में डालना, उससे तैयार माल बनाना, उसकी पैकिंग करना, गोदाम में रखना इत्यादि सभी काम रोबोटों द्वारा किये जाते हैं।

रोबोटों के अविष्कार से उत्पादन में श्रम का हिस्सा कम होता जा रहा है। श्रम का हिस्सा कम होने से भारत को सस्ते श्रम का जो लाभ अब तक मिल रहा था वह समाप्त प्राय होने को है। अब कार बनाने की फैक्ट्री में श्रम की जरूरत कम है। सारा काम रोबोट से होगा। ऐसे में श्रम भारत में सस्ता पड़ता है अथवा अमरीका में महंगा पड़ता है, इसका कोई प्रभाव नहीं रह जाता है। इसलिए आने वाले समय में भारतीय माल को अब तक मिल रहा सस्ते श्रम का लाभ कम होता जायेगा। और भी अधिक खतरा इस बात का है कि आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस के अविष्कार से सेवा क्षेत्र से उत्पन्न हो रहे तमाम रोजगार भी खतरे में पड़ेंगे, जैसे कानूनी रिसर्च, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, इंशोरेंस क्लेमों का निस्तारण आदि कार्य अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा किये जाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में कॉल सेंटर के कार्य भी कंप्यूटर द्वारा



**रोबोटों द्वारा
मनिफेक्चुरिंग तथा
आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस
द्वारा सेवा क्षेत्र में भारत
में उत्पन्न होने वाले
रोजगार संकट में पड़ने
की तरफ बढ़ रहे हैं।**

किये जा सकते हैं। आप जिस प्रकार आज मोबाइल कंपनी को फोन करने पर कंप्यूटर द्वारा आपको अधिकतर उत्तर दे दिए जाते हैं, वह कार्य आने वाले समय में कॉल सेंटर में भी होने लगेगा, ऐसी संभावना बनती है।

रोबोटों द्वारा मनिफेक्चुरिंग तथा आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस द्वारा सेवा क्षेत्र में भारत में उत्पन्न होने वाले रोजगार संकट में पड़ने की तरफ बढ़ रहे हैं। इस परिस्थिति में हमें नई तकनीकों के विकास पर ध्यान देना चाहिए। हमें नई तकनीकों का अविष्कार करना होगा, जैसे कृषि में टिशु कल्चर का उपयोग करके हम मनवांछित प्रकार के फूल अथवा सब्जियां उत्पादन कर सकते हैं। अंतरीक्ष यात्रा के लिए हम अंतरिक्ष यान बना सकते हैं। डाटा प्रोसेसिंग से हम विश्व में बिमारियों के प्रसार का अंदाज लगा सकते हैं। एक भाषा से दूसरी भाषा में पुस्तकों का अनुवाद करने का सोफ्टवेयर बना सकते हैं। इन नए क्षेत्रों में रोजगार बन सकते हैं।

अपने देश में वज्ञानिकों के वेतन न्यून हैं। अतः नई तकनीकों का अविष्कार करने में भारत में लागत कम आएगी। समस्या यह है कि हमारी शोध संस्थाएं लचर हैं। हमारे वज्ञानिक विदेश में जाकर अच्छा काम करते हैं और अपने देश में उन्हें अनुकूल वातावरण नहीं मिलता है कि वे अविष्कार कर सकें। इसलिए सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए

कि भारत में नये तकनीकों के अविष्कार का रास्ता खोले। हमारे विश्वविद्यालयों में अध्यापकों में रिसर्च करने की रुचि नहीं होती है। कौंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च या इंडियन कौंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च जैसी संस्थाओं द्वारा तमाम प्रयोगशालाएं चलाई जाती हैं। ये प्रयोगशालाएं भी राजनीति का अड्डा बन चुकी हैं। इस परिस्थिति में सरकार को चाहिए कि अपने विश्वविद्यालयों और प्रयोगशालाओं में जवाबदेही स्थापित करने के लिए कारगर कदम उठाये और इनमें रिसर्च का वातावरण स्थापित करे। हर प्रोफेसर एवं वैज्ञानिक का पंचवर्षीय बाहरी मूल्यांकन कराना चाहिए और इनमें जो अकुशल पाए जाएँ, उन्हें कोम्पल्सरी रिटायर कर देना चाहिए। रिसर्च के कार्यों को आउटसोर्स भी किया जा सकता है। निजी विश्वविद्यालयों अथवा रिसर्च कंपनियों को रिसर्च करने के ठेके दिए जा सकते हैं। इस प्रकार के कदमों से देश में नई तकनीकों का अविष्कार होगा और हम आने वाले समय के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकेंगे, जैसे आज अमरीका ने किया है। आज से 4 हजार वर्ष पूर्व भगवान राम के समय देश में वायुयान चलते थे या नहीं यह तो खोज का विषय है। बड़ी चुनौती इस समय वर्तमान में तकनीकी अविष्कार करने की है। पुराने वैभव के आधार पर हम बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं। □□

गांवों के विकास पर जोर

सदियों से भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है जहां सवा छः लाख गांवों की 75 प्रतिशत जनसंख्या कृषि तथा उसके जुड़े उद्योगों पर निर्भर है तथा 60 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गांवों में ही निवास करती है। स्वतंत्रता के उपरांत से ही पंचवर्षीय योजनाओं में प्रमुख रूप से कृषि का विशेष ध्यान रखा गया था, परंतु गांवों की आर्थिक हालत निरंतर गिरती चली गयी तथा उसका परिणाम यह निकला कि लोगों ने कृषि कार्य छोड़कर गांवों से पलायन कर शहरों में बसना शुरू कर दिया, जिससे शहरों में जनसंख्या धनत्व बढ़ने से विकट समस्याएँ खड़ी हो गयी। गांवों में अधिक आबादी का प्रभाव शासन व प्रशासन की योग्यता, सोच व प्रदर्शन, क्षमता पर भी पड़ा। गांवों में भी धीरे-धीरे लोगों की आकांक्षाओं व अपेक्षाओं तथा तकनीक का विस्तार हुआ। भारत के लोकतंत्र में ग्रामीण-जनों की भागेदारी व महत्व निरंतर बढ़ता गया है। शहरों की विकट होती परिस्थितियों को सुलझाने के लिए गांवों में ही शहरों की सुविधाएं देनी होगी, तभी गांव से शहर की ओर पलायन प्रभावकारी ढंग से रुक सकेगा।



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आवश्यकता को समझा और अपनी सोच को सही दिशा में रखते हुए ग्रामीण विकास के लिए अपने कदम बढ़ा दिये। उनके शासनकाल में अब तक वांछित लक्ष्य प्राप्त हुए हैं अथवा नहीं, यह तो नहीं कहा जा सकता, परंतु यह कहा जा सकता है कि कदमों की दिशा सही है तो देर सबेर लक्ष्य भी प्राप्त होगा ही।

— डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल

ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार आवश्यक हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आवश्यकता को समझा और अपनी सोच को सही दिशा में रखते हुए ग्रामीण विकास के लिए अपने कदम बढ़ा दिये। उनके शासनकाल में अब तक वांछित लक्ष्य प्राप्त हुए हैं अथवा नहीं, यह तो नहीं कहा जा सकता, परंतु यह कहा जा सकता है कि कदमों की दिशा सही है तो देर सबेर लक्ष्य भी प्राप्त होगा ही। गांवों में शहरी सुविधाएं देने की कोशिश जारी है। आवश्यकता है कि ऐसी विकासशील योजनाओं को अपने निर्धारित समय में पूरा किया जाय, जिससे उन योजनाओं की मुद्रास्फिति के कारण लागत न बढ़ सके।

गांवों तक पहुंचना व गांवों से शहर तक पहुंचना आसान नहीं था, परंतु पीएमजीएसवाई की सड़कों से लोगों का जीवन आसान हुआ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 3.68 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई गयी हैं। ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए



प्रत्येक गरीब व्यक्ति व परिवार को पक्का मकान, बिजली, शौचालय, रसोई गैस इत्यादि तो उपलब्ध करायी गई, वहीं गरीब की जेब में कुछ पैसा भी पहुंचे, ऐसी भी योजनाएं शुरू की गई हैं। स्वास्थ्य के लिए विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना 'आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना' शुरू की गई, जिसमें गरीब परिवार बीमार पड़ने पर पांच लाख रुपये तक का ईलाज बिना नकदी के करवा सके, क्योंकि गरीब जब बीमारी के दुष्चक्र में फंसता है तो वह ऋणग्रस्त हो जाता है, तो उसकी उत्पादकता रुक जाती है और ऋणग्रस्तता का एक लंबा जीवन उसको गुजारना पड़ता है।

मिशन अंत्योदय के अंतर्गत 50 हजार ग्राम पंचायतें चिन्हित की गई हैं, जिनमें गरीबी को समाप्त करने की कोशिश की जायेगी। इसी प्रकार स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के अंतर्गत 46.76 लाख लोगों को राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत चुना गया है तथा 3.2 करोड़ पेंशन के खाते डिजिटल किये गये हैं, जिससे उनमें हो रही असुविधा व भ्रष्टाचार को दूर कर स्थिति को सुधारा जा सके।

स्वच्छ भारत कार्यक्रम को अभियान के रूप में लिया गया, जिससे लोग साफ सफाई पर ध्यान देने लगे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 88.30 लाख मकानों का निर्माण किया गया है। 11.21 करोड़ ग्रामीण मनरेगा में सक्रिय मजदूर हैं जिससे उनकी जेब में भी कुछ रुपया पहुंच रहा है। 89 प्रतिशत शौचालय में वृद्धि हुई है। जबकि चार वर्ष पूर्व मात्र 39 प्रतिशत ही शौचालय ग्रामीण क्षेत्र में बने थे।

गांवों में कुपोषण से होने वाली बच्चों की मौतें कम हुई हैं व ग्रामीणजनों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा रहा है। राज्य प्रशासन की फुर्ती से गांव के प्रत्येक परिवार तक पाइप से शुद्ध पेय जल पहुंचाने की कवायद शुरू की गई



चार वर्ष पूर्व तक 39 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के मकानों में शौचालय बने हुए थे, जिनकी अब संख्या 89 प्रतिशत हो गई है।

हैं। प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने के लिए ग्रामीणों को प्रमुखता दी गई। जल संसाधनों को संरक्षण करने पर सरकार ने अधिक ध्यान दिया है। केन्द्र ने गांव व ग्रामीणों के लिए अनेकों योजनाएं प्रेषित की हैं। परंतु उन्हें प्रभावकारी ढंग से लागू करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होता है। सुशासन नहीं होने से गड़बड़ी शुरू हो जाती है। सरकारों के सामने योजनाओं को अमलीजामा पहनाकर सुपात्रों तक उनका लाभ पहुंच सके, यह बहुत बड़ी कठिन समस्या होती है। गांवों में शुद्ध पेय जल आपूर्ति सबसे बड़ी व विकट समस्या रही है, क्योंकि दूषित जल का सेवन करने से गांव के गांव बीमारी से ग्रस्त होकर गरीबी की चादर ओढ़ लेते हैं, जिसमें से उनका निकल पाना लगभग असंभव ही होता है।

ग्रामीणों को अकुशलता से कुशलता की तरफ ले जाने के लिए 5.70 लाख युवाओं को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया है। ग्रामीणों के स्वास्थ्य, दो समय रोटी व भोजन, मकान, गांव में ही रोजगार एक बड़ी समस्या है, तभी ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी दूर हो सकती है। सरकार ग्रामीणों की गरीबी का वास्तविक कारण जानने की कोशिश कर रही है। प्रत्येक गांव में आवासहीन गरीबों की सूची तैयार कर प्रकाशित की जा रही है, ताकि कोई गरीब पक्का मकान पाने से छूट न जाए। प्रधानमंत्री आवास

योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग एक करोड़ मकान उपलब्ध कराये जा रहे हैं। 2019 तक शत प्रतिशत गरीबों के मकान पक्के करने का लक्ष्य तैयार किया है। सामाजिक आर्थिक जनगणना के अनुसार 5.40 करोड़ परिवार भूमिहीन श्रेणी के हैं तथा बहुत से ग्रामीणों के पास मकान बनाने के लिए भी जमीन नहीं है, जिनको सरकार जमीन उपलब्ध करायेगी। आठ करोड़ से अधिक घरों में शौचालय बना लिए गए हैं। चार वर्ष पूर्व तक 39 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के मकानों में शौचालय बने हुए थे, जिनकी अब संख्या 89 प्रतिशत हो गई है। जिसका प्रभाव यह पड़ा कि चार लाख से अधिक गांव, 421 जिले व 19 राज्य खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) हो चुके हैं। मकान बनाने के लिए वित्तीय मदद 75 हजार रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दी गई है।

हर हाथ को काम देने की योजना के तहत पहले से चल रही मनरेगा योजना को और मजबूती से चलाने की जरूरत है। सरकार का हर संभव प्रयास यह होना चाहिए कि गांव से शहर की ओर पलायन रुक सके तथा सरकार ने भी स्वीकार किया है कि ग्रामीण व्यवस्था को आर्थिक व सामाजिक रूप से सुदृढ़ बनाया जायेगा और सरकार इसी लक्ष्य को प्राप्त करने की निरंतर कोशिश कर रही है। □□

लेखक सनातन धर्म महाविद्यालय मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) में वाणिज्य विषय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद व महाविद्यालय के प्राचार्य पद से अवकाश प्राप्त हैं व तथा स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़

राफेल सौदे को लेकर राहुल गांधी ने बिना किसी आधार के जानबूझकर जिस तरह अभियान चलाया, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। विदेशी सौदागर उनके हमसफर बने। फिर राफेल को घोटाला बनाने की साजिश शुरू हो गयी। बिना सिर-पैर के आरोप गढ़े गये, जो अखबार की सुर्खियां बने। इससे राफेल सौदे को लेकर भ्रम का माहौल बना। वह इतना घना था कि रक्षा मामलों के जानकार भी फंस गये। यही बात राफेल विवाद को अन्य रक्षा विवादों से अलग करती है। उनमें आरोप गढ़े नहीं गये थे। दस्तावेज बोल रहे थे। पर राफेल विवाद में ऐसा नहीं था। यहां सिर्फ आरोप थे, जो राजनीति प्रेरित थे। वे कोर्ट में टिके नहीं और राफेल विवाद से बरी हो गया। राफेल मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने झूठ का पहाड़ खड़ा किया। कांग्रेस देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहती थी। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साफ-सुथरी छवि धूमिल करने का कुत्सित प्रयास कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और लोकसभा में हुई बहसों में उनका यह दांव उलटा पड़ गया है। केन्द्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली और रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर राफेल मामले में राहुल गांधी के दावों को झूठा साबित कर दिया है। कांग्रेस की सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप लगे बिना कैसे चल रही है। राहुल गांधी के हवाई दावे पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, लेकिन वह 'खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे' वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हैं।

राफेल सौदे को लेकर कांग्रेस के कुछ नेता संसद के बाहर और भीतर जिस तरह से मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ही कहा जायेगा। वह यह जानना चाहते हैं कि यूपीए के कार्यकाल में राफेल की तय कीमत से नये राफेल विमानों की कीमत ज्यादा कैसे हो गयी। अर्थात् उसमें कौन-कौन से अस्त्र-शस्त्र लगे हैं? यही बात



राहुल गांधी राफेल सौदे में बेबुनियाद भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं की राफेल सौदे के मामले में जिस तरह फजीहत हो रही है, उससे यह सबक सीखने को तैयार नहीं हैं।

— निरंकार सिंह



हमारे पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान और चीन भी जानना चाहते हैं। कांग्रेस के कुछ नेताओं का पाकिस्तान और चीन से प्रेम अब कोई छिपी बात नहीं है। लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी इस स्तर पर उतर आयेगी, यह अचरज की बात है। सुप्रीम कोर्ट से राफेल सौदे को क्लीन चिट मिल जाने के बाद भी कांग्रेस इस मामले को बहस का मुद्दा बनाये हुए है। लेकिन इस मामले में घपले का वह कोई प्रमाण पेश नहीं कर पा रही है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी राफेल सौदे की जांच को संयुक्त संसदीय समिति से कराने की मांग कर रहे हैं। पर जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है उसकी संयुक्त संसदीय समिति की जांच कराने का क्या औचित्य हो सकता है? सभी जानते हैं कि संयुक्त संसदीय जांच समिति में सरकार का ही बहुमत होता है, वह जो चाहेगी वही होगा। इस समिति के विपक्षी सदस्य अपनी पार्टी लाइन पर अपना राग अलापेंगे और सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य अपनी बात कहेंगे। पहले गठित की गयी समितियों ने जिस तरह मामलों की लीपापोती की, यह किसी से छिपा नहीं है।

लड़ाकू विमानों के इस सौदे की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने की मांग का औचित्य तभी बन सकता है जब ऐसे कोई सबूत सामने लाये जा सकें, जिनके आधार पर गड़बड़ी को रेखांकित किया जा सकें। ऐसे सबूत पेश करने के नाम पर कांग्रेस गोवा के एक मंत्री की एक अनाम शख्स के साथ बातचीत की आडियो क्लिप तो सामने लाई, लेकिन राहुल गांधी लोकसभा में उसे सुनाने की कोशिश में जिस तरह उसकी सत्यता प्रमाणित करने से पीछे हट गये, उससे तो जनता के मन में यही सवाल उठा कि कहीं यह फर्जी तो नहीं? ध्यान रहे कि गोवा के मंत्री ने तो इस आडियो क्लिप को फर्जी करार देते



राफेल सौदे के मामले में लोकसभा में वित्तमंत्री अरुण जेटली और रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी के सभी आरोपों का दो टूक जवाब दिया है।

हुए इसकी जांच की मांग की थी। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी साफ किया कि उन्होंने कैबिनेट में कभी भी इस तरह की चर्चा नहीं की कि राफेल सौदे से संबंधित फाइलें उनके पास हैं। अब अच्छा यह होगा कि सरकार इस आडियो क्लिप की जांच कराने के लिए आगे बढ़े। कांग्रेस के नेता फर्जी सबूत गढ़ने में पहले भी बदनाम हो चुके हैं। यह पहली बार नहीं है, जब कांग्रेस ने ऐसा राजनीतिक षडयंत्र रचा हो। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान ऐसा ही षडयंत्र कर चुकी है। तब भी रक्षा सौदे में हेराफेरी का आरोप लगा था। सरकार को कफन चोर कहकर बदनाम किया गया। कूट ब्यूह रचना करने में कांग्रेस के कुछ नेता बड़े खिलाड़ी हैं। बोफोर्स मामले में पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के बेटे अजय सिंह से संबद्ध सेटस कीट्स बैंक में खाता खोलवाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गयी थी और झूठा बोला था। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के संबंध में जो बात कही उसे गलत बताया गया।

राफेल सौदे के मामले में लोकसभा में वित्तमंत्री अरुण जेटली और रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी के सभी आरोपों का दो टूक जवाब दिया है। उन्होंने राफेल सौदे पर राहुल गांधी के आरोपों को झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा परिवार सरकार पर मनगढ़ंत आरोप

लगा रहा है। अनिल अंबानी की कंपनी को ऑफसेट कांटेक्ट मिलने पर आरोपों को बचकाना बताते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। उन्हें एबीसी से शुरुआत करनी होगी। उन्होंने बोफोर्स घोटाले के मुख्य आरोपित क्वात्रोची के नाम के पहले अक्षर 'क्यू' की ओर इशारा करते हुए कहा कि शायद उनकी गोद में आप खेले होंगे। यह भी याद दिलाया कि किस तरह नेशनल हेराल्ड ट्रस्ट को हड़पने के आरोप में राहुल और सोनिया गांधी दोनों जमानत पर हैं। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकाप्टर घोटाले के मुख्य आरोपित क्रिश्चियन मिशेल के नोट और ईमेल में 'मिशेल गांधी', 'बिग आर' और 'सन ऑफ इटैलियन लेडी' जैसे शब्दों की याद दिलाई, जो सीधे तौर पर गांधी परिवार की संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं। एक-दो बार संदेह और संयोग का लाभ दिया जा सकता है, लेकिन तीसरी बार में यह गहरी साजिश की ओर इशारा करता है।

गांधी परिवार को रक्षा सौदों की साजिश करने वाला करार देते हुए जेटली ने कहा कि यही लोग आज दूसरे पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। मनोहर पर्रिकर के दावे से संबंधित टेप लोकसभा में बजाने की कोशिश और उसे सत्यापित नहीं करने पर चुटकी लेते हुए जेटली ने कहा कि इससे साफ हो जाता है कि यह टेप भी मनगढ़ंत है। इसके पहले

भी कांग्रेस नेता सदन में झूठ बोलते रहे हैं। पिछली बार उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात का फर्जी दावा किया था।

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस के झूठ का उदाहरण देते हुए कहा कि राफेल का पूरा सौदा 58 हजार करोड़ है। कांग्रेस नेता कई दिनों से सदन के भीतर एक लाख तीस हजार करोड़ रुपये के घोटाले की तख्ती लिये घूम रहे हैं। राहुल की समझ पर अंगुली उठाते हुए उन्होंने कहा वे आफसेट सप्लायर को निर्माता समझ बैठे हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह आफसेट कांटेक्ट के तहत दासौ को सौदे के 50 फीसदी कीमत का भारत में निर्मित सामान खरीदना है। इन वस्तुओं का राफेल से संबंधित होना जरूरी भी नहीं है। इसलिए राफेल ने सौ-सवा सौ कंपनियों के साथ समझौता किया था। अनिल अंबानी की कंपनी के साथ केवल तीन फीसदी ऑफसेट पार्टनर का समझौता

है। यानी उनकी कंपनी से दासौ मुश्किल से 850 करोड़ रुपये का सामान खरीदेगी। यहां यह उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर अनिल अंबानी को 30 हजार करोड़ रुपये फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते रहे हैं, जो सरासर गलत है। कांग्रेस अध्यक्ष की तुलना प्राइमरी स्कूल के छात्र से करते हुए जेटली ने कहा कि उन्हें एयरक्राफ्ट और कांबेट एयरक्राफ्ट में अंतर ही नहीं मालूम है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी संतुष्टि के लिए राफेल के कांबेट एयरक्राफ्ट की कीमत की जानकारी भी मांगी थी, जो सीलबंद लिफाफे में दी गयी थी। इसे देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट की आत्मा तो संतुष्ट हो गई, लेकिन इनकी आत्मा अब तक संतुष्ट नहीं हुई है। जेपीसी जांच की मांग पर जेटली ने कहा कि कांग्रेस शासन में वी शंकरानंद की अध्यक्षता में गठित जेपीसी ने बोफोर्स सौदे को क्लीन चिट दे दी थी। जबकि जांच में उसमें दलाली के पुरख्ता सबूत

भी मिले थे।

राफेल सौदे को तूल देने के क्रम में कांग्रेसी नेता और खासकर पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी सरकारी कंपनी एचएएल के हितों को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंतित दिख रहे हैं, लेकिन क्या अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे की जांच यह नहीं बता रही है कि इस सौदे से इसी कंपनी को बाहर किया गया था। अपने ऊपर लगे आरोपों के बचाव में राहुल गांधी राफेल सौदे में बेबुनियाद भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं की राफेल सौदे के मामले में जिस तरह फजीहत हो रही है, उससे यह सबक सीखने को तैयार नहीं हैं। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जानबूझकर इस मामले को लोकसभा के चुनावों तक भ्रम फैलाकर बनाये रखना चाहते हैं। लेकिन अब उनका यह दांव उल्टा पड़ रहा है। □□

(लेखक हिन्दी विश्वकोश के पूर्व सहायक संपादक व स्वतंत्र रूप से लेखक हैं।)

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर विपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि "स्वदेशी पत्रिका" के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :-

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	150 रुपए	1500/- रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/- रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID-0006025 (Ramakrishnapuram)**

में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजें।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर-8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-22

अधिक जानकारी के लिए देखें :

**http://
swadeshionline.in/**

भारत में एआई संचालित आधार एवं अनुसंधान की आवश्यकता (भाग-2)

ए.आई. (कृत्रिम बुद्धिमत्ता— Artificial Intelligence) के वैश्विक स्तर पर भारत आज एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बन गया है, किन्तु सार्वजनिक क्षेत्र में नागरिक सेवाओं के तथा राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करने जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारत एआई का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहा है। इसका कारण है भारत में उपभोक्ताओं का डेटा पूरी तरह अन्य देशों के नियंत्रण में भारत के बाहर स्थित एआई संचालित आधार पर निर्भर है। एआई के लिये आवश्यक उच्च कम्प्यूटिंग क्षमता रखने तथा विशाल मात्रा में डेटा संग्रहण करने में 'क्लाउड कम्प्यूटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर' सक्षम होता है। अमेज़न वेब सर्विसेज (AWS) द्वारा भारत को उपलब्ध करवाये जाने वाले क्लाउड से लेकर गूगल मशीन लर्निंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तक लगभग सभी ऑनलाइन उपकरण भारत की सीमा के बाहर स्थित हैं।

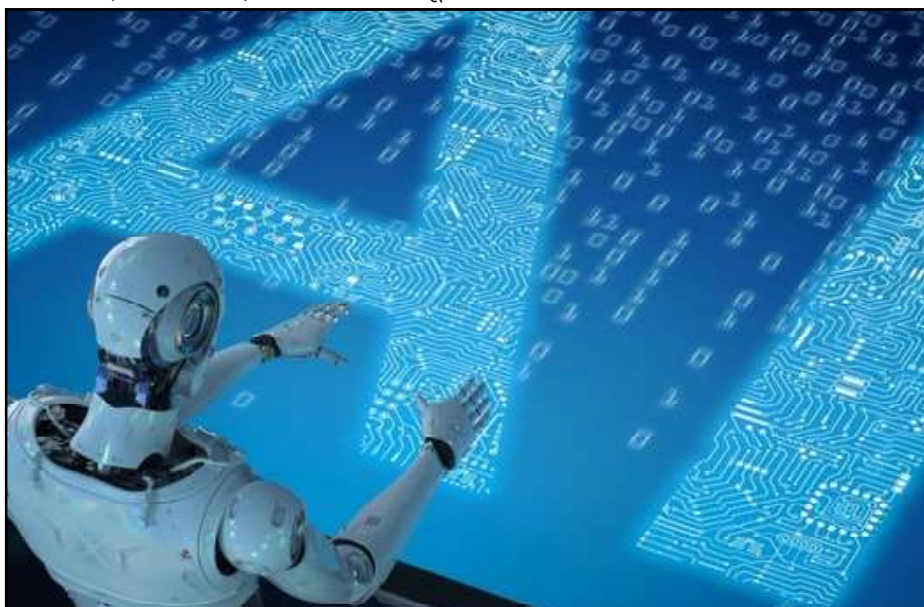
केंद्र सरकार के 'डिजिटल इंडिया' अभियान के अंतर्गत डिजिटल तथा डेटा उपकरणों में वृद्धि के साथ ही भारतीय डेटा सेंटर बाजार में भारी वृद्धि हुई है। वैश्विक अनुसंधान और सलाहकार फर्म 'गार्टनर' के अनुसार, भारत APAC (Asia Pacific) में दूसरा सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेटा सेंटर बाजार बन गया है। वर्ष 2017 की अनुमानित दर से भारत में डेटा सेंटर बाजार का मूल्य 2.2 बिलियन डॉलर रहा। सिनर्जी रिसर्च समूह की रिपोर्ट के अनुसार पब्लिक क्लाउड मार्केट के 40 प्रतिशत बाजार पर अमेज़न क्लाउड सेवा (AWS) का अधिकार है। इस सेवा से अमेज़न का वार्षिक राजस्व (Revenue) 1.61 लाख करोड़ से अधिक है। गत 25 वर्षों में अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी कम्पनी बन गई है।

जहां एक तरफ देश के बाहर संचालित एआई अर्थव्यवस्था भारत के निजी क्षेत्रों में उद्योगों के लिए एआई के उपयोग को अधिक महंगा बनाती है वहीं दूसरी तरफ मांग पर आधारित (on demand) ऑनलाइन कम्प्यूटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के देशीय स्थापित आधार की



जहां एक तरफ देश के बाहर संचालित एआई अर्थव्यवस्था भारत के निजी क्षेत्रों में उद्योगों के लिए एआई के उपयोग को अधिक महंगा बनाती है वहीं दूसरी तरफ मांग पर आधारित ऑनलाइन कम्प्यूटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के देशीय स्थापित आधार की अनुपस्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये बहुत बड़ा खतरा बन सकती है।

— डॉ. रेखा भट्ट





भारत सरकार के 'स्टार्टअप' अभियान के तहत देश में स्थापित उद्योगों व स्टार्टअप के साथ शोध संस्थानों अथवा विश्वविद्यालयों की साझेदारी को क्रियान्वित किया जा सकता है।

अनुपस्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। इस कारण अनेक उद्योग भारत के बाहर अपने डेटा संग्रहित करने से बचते हैं। एआई अर्थव्यवस्था की यह स्थिति भविष्य में भारत को मिलने वाले एआई जनसांख्यिकीय लाभांश को समाप्त कर देगी। एआई के लिये महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में निर्मित किये बगैर उत्पादकता के अवरोध को पार करना बहुत कठिन होगा।

भारत में ही बड़े स्तर पर डेटा केंद्र बनाने को प्रोत्साहन देने के लिये 'डिजिटल इण्डिया' कार्यक्रम के पुनर्विन्यास की आवश्यकता है। इसके तहत भारत को क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिये सर्वाधिक उपयुक्त स्थान के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिये। भारी डेटा सेन्टर के निर्माण के लिये भारत में ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान होनी चाहिये, जहाँ पहले से आईटी का सुदृढ़ आधार उपलब्ध हो। चेन्नई में IBM ने सॉफ्ट-लेयर पब्लिक क्लाउड डेटा सेन्टर स्थापित किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने मुम्बई, पुणे व चेन्नई जैसे शहरों में तीन डेटा सेंटर स्थापित किये हैं। ये डेटा सेंटर भारत में क्लाउड कम्प्यूटिंग की बढ़ती उपभोक्ता माँग को कुछ सीमा तक पूरा करने में सक्षम होंगे।

भारतीय डेटा पर विदेश कंपनियों के नियंत्रण, जिसे 'डेटा कॉलोनाइजेशन' कहा जा सकता है, को समाप्त करने के

प्रयास को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 'डिजिटल इण्डिया' अभियान का मुख्य लक्ष्य बनाया जायेगा। 'डिजिटल इण्डिया' की राष्ट्रव्यापी पहुँच के विस्तार को प्रभावी बनाने के लिये वर्ष 2018-19 में केंद्र सरकार द्वारा 3,073 करोड़ के आवंटन को दुगुना कर दिया है। एआई में भारत को अमेरिका व चीन से आगे लाने की पहल करते हुए एआई, डिजिटल विनिर्माण, रोबोटिक्स, क्वांटम आदि अनेक प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान, प्रशिक्षण व कौशल विकास में भारी निवेश का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा संचार, बिग डेटा, इंटेलेजेंस, 3-डी-प्रिंटिंग, ब्लॉक चेन, सी मशीन लर्निंग तथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे प्रौद्योगिकियों पर शोध को भी सम्मिलित किया गया है। डेटा को एकत्र करने, व्याख्या करने और सार्वजनिक डेटा तंत्र विकसित करने के लिये नेशनल एआई मार्केट (NAIM) स्थापित करना भी प्रस्तावित किया गया है।

एआई तकनीकी युक्त आधार को भारतीय सीमा के अन्दर स्थापित करके भारत अपने रणनीतिक हितों को सुरक्षित करने में तो सक्षम होगा ही, अपने जनसांख्यिकीय लाभांश से भविष्य की वैश्विक मांग के अनुरूप कौशल बाजार और रोजगार को सुरक्षित करने में भी सक्षम होगा।

पिछले दो दशकों में इंटरनेट अर्थव्यवस्था के आगमन के साथ, बड़ी

इंटरनेट कंपनियों ने विश्वविद्यालयों व शोध संस्थानों से एआई प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करके एआई के वाणिज्यिक (Commercial) उपयोग का विस्तार किया है। इसमें निजी क्षेत्र की गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट व फेसबुक प्रयोगशालाओं का सहयोग लाभदायक सिद्ध हुआ है। अमेज़न कैटलिसट प्रोग्राम ने नई तकनीकों पर काम कर रहे विश्वविद्यालयों में निवेश किया है। ई-कॉमर्स व ऑनलाइन विज्ञापन के अतिरिक्त 90 कंपनियों का अधिग्रहण किया है और वर्ष 2018 में 10 स्टार्टअप खरीद लिये हैं। अमेरिका और पश्चिमी यूरोप सिलिकॉन वैली, बोस्टन व लंदन में स्थित एआई नवाचार क्लस्टर का वाणिज्यिक, सामाजिक, राष्ट्रीय सभी प्रकार का लाभ उठाते हैं क्योंकि उन्हें उच्चस्थ अनुसंधान विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं का नेटवर्क उपलब्ध होता है।

भारत में एआई अनुप्रयोगों का विस्तार करने तथा वाणिज्यिक उपयोग के लिए नए स्टार्टअप शोध कार्य को आर्थिक रूप से लाभकारी बनाकर, शोध संस्थानों व विश्वविद्यालयों का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। एआई अनुसंधान द्वारा उद्योगों में नवाचार क्षमता बढ़ेगी और नए प्रकार के रोजगारों का सृजन होगा। अकादमिक क्षेत्र से एआई प्रतिभाओं का औद्योगिक क्षेत्र की ओर विस्थापन होगा तथा रोजगार में स्थिरता आयेगी। स्टार्टअप व एआई शोध संस्थानों के आपसी सहयोग से नवाचार क्लस्टर बनाने, भविष्य में नियोक्ताओं के मूल्यों की पहचान करने तथा भारत के अंदर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के साझा प्रयास फलीभूत होंगे। भारत सरकार के 'स्टार्टअप' अभियान के तहत देश में स्थापित उद्योगों व स्टार्टअप के साथ शोध संस्थानों अथवा विश्वविद्यालयों की साझेदारी को क्रियान्वित किया जा सकता है।

भारत में IIT (भारतीय प्रौद्योगिकी

संस्थान) ने सार्वजनिक वित्त पोषण द्वारा एआई में काफी बड़े स्तर पर शोध किये हैं। अमेरिका व यूरोप की तुलना में भारत में शोधकार्य का वैश्विक प्रभाव देखने को नहीं मिल सका है क्योंकि एआई अनुसंधान में निष्णात् शोधकर्ताओं की संख्या बहुत सीमित है। इसके दो कारण हैं— पहला, वाणिज्यिक और आर्थिक आधार पर भारत में एआई अनुसंधान अभी उपेक्षित है अतः भारत की शीर्ष एआई प्रतिभाएं विदेशी निजी कंपनियों में रोजगार प्राप्ति तक सीमित रहती है। भारत की इस बौद्धिक ऊर्जा को सामाजिक व राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों में प्रतिभा दिखाने के अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं। दूसरा, “ऑगमेंटेड रियलिटी” जैसी तकनीक ने उद्यमिता को अधिक आसान बना दिया है। अतः उद्योगों की ओर पलायन भी शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की शीर्ष प्रतिभाओं की रिक्तता का बहुत बड़ा कारण है।

भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस ने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान को एआई अनुसंधान प्रयासों में सहयोग देने की घोषणा की है। साथ ही स्पेस-X के संस्थापक व टेस्ला मोटर्स के CEO एलन मस्क के खुले व गैर-लाभकारी एआई अनुसंधान तंत्र का समर्थन किया है जो एआई शोधों को सुरक्षित दिशा में ले जाने के लिये प्रेरित करेगा।

चीन की निजी कंपनी अलीबाबा ने एआई वैज्ञानिक पैन की टीम के सहयोग से क्वांटम कम्प्यूटिंग और एआई के संयुक्त शोध द्वारा गूगल के डीप माइंड को दोहराने और उसे संचालित करने के लिये प्रोग्रामिंग की है। चीन की एक निजी कम्पनी ने ऑनलाइन इंजीनियरिंग प्रयोगशाला बनाई है जो विश्वविद्यालयों व शोध संस्थानों के साथ मिलकर एआई प्रौद्योगिकी में गहन अध्ययन करेगी। इस तरह अकादमिक (Academic) तथा वाणिज्यिक (Com-

भारत में अब एआई नीति मात्र भारतीय गूगल के निर्माण की आवश्यकता तक सीमित नहीं रह सकती, इसे साझेदारी द्वारा संगठनात्मक कार्यशैली पर केन्द्रित होना चाहिये

mercial) साझेदारी से चीन ने प्रयोगशाला और बाजार के बीच के अंतर को मिटा दिया है। चीन की इस महत्वाकांक्षी नीति से 2030 में चीनी उद्योगों का उत्पादन 148 अरब डॉलर मूल्य का होगा और चीन एआई महाशक्ति बनने का लक्ष्य पूरा करेगा।

सार्वजनिक वित्त पोषण को निजी साझेदारी से प्रभावी बनाकर अमेरिका व दक्षिण कोरिया एआई अनुसंधान व नवाचार में सफलता प्राप्त कर सके हैं। दक्षिण कोरिया सरकार ने सैमसंग व एलजी की निजी साझेदारी में एआई आधारित अनेक सरकारी परियोजनाओं में 840 मिलियन डॉलर का निवेश किया है। भारतीय मूल के एक उद्यमी ने मलेशियाई सरकार के निवेश द्वारा सिलिकॉन वैली में दृश्य पहचान स्टार्टअप स्थापित किया है।

कई विकासशील देशों ने निजी क्षेत्रों पर निर्भर रहने की अपेक्षा सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश करते हुए एआई कंपनियों के एकीकरण व नवाचार को प्राथमिकता दी है। आस्ट्रेलिया व कुछ पश्चिमी देशों ने सार्वजनिक स्तर पर निवेश किया है। IBM और वॉटसन आपसी सहयोग से एआई तंत्र विकसित करने में सक्षम बने हैं। पिछले दस वर्षों में विकसित देशों में एआई के लिये सार्वजनिक वित्त पोषण का अधिकांश भाग DRPA (रक्षा अनुसंधान निधि मॉडल) के साइबर ग्रैंड

चैलेंज (पुरस्कार राशि के साथ प्रतिस्पर्धा) के रूप में तथा यूरोपीय संघ के EU-FP7 प्रौद्योगिकी के वित्त पोषित कार्य से आया है। EU की मानव मस्तिष्क परियोजना, अगले दशक में एआई पर एक बिलियन यूरो खर्च करने की परिकल्पना करती है। 2013 में बनाये गये BRAIN इनिशियेटिव ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एआई अनुसंधान के लिये दसवर्षीय मल्टी बिलियन डॉलर फंड की स्थापना की है।

विश्व में एआई प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए भारत में एआई परिस्थितिकी तंत्र विकसित करना अपरिहार्य हो गया है। भारत में ‘स्टार्ट अप’ योजना के माध्यम से निजी साझेदारी में सार्वजनिक वित्त पोषण को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। भारत में निजी क्षेत्र द्वारा वित्त पोषण वैश्विक एआई विकास के लक्ष्य से अभी बहुत पीछे है। आर्यप जैसे स्टार्ट अप ने अभी अपनी पहचान बनानी शुरू की है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफार्म के माध्यम से अमेज़न और पिलपकार्ट जैसी ई-कंपनियों को चुनौती देने जा रही है। अडानी ग्रुप ने अगले 5 वर्षों में 55 हजार करोड़ तथा आदित्य बिड़ला ग्रुप ने आगामी 3 वर्षों में 15 हजार करोड़ के एआई निवेश की घोषणा की है।

भारत में अब एआई नीति मात्र भारतीय गूगल के निर्माण की आवश्यकता तक सीमित नहीं रह सकती, इसे साझेदारी द्वारा संगठनात्मक कार्यशैली पर केन्द्रित होना चाहिये, भारत में उत्पन्न होने वाली परिस्थितिगत समस्याओं के अतिरिक्त तात्कालिक अवसरों और भविष्य की संभावनाओं पर भी केन्द्रित किया जाना चाहिये। भारत में एआई विकास की ऐसी कार्ययोजना प्रभावी होगी जो रोजगार प्रदान करे, उत्पादकता बढ़ाकर भारत से गरीबी दूर करे तथा भारतीय आबादी को सशक्त बनाने का साधन बने। □□

स्वदेशी जागरण मंच की मजबूत ई-कॉमर्स नीति बनाने की मांग

स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) ने छोटे दुकानदारों के हितों की रक्षा के लिये सरकार से मजबूत और बेहतर ई-कॉमर्स नीति बनाने की मांग की है। मंच का कहना है कि फिलपकार्ट और अमेजन जैसी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां नियमों को दरकिनार करके व्यापारियों के हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मंच ने इस संबंध में प्रस्ताव पास किया है। स्वदेशी जागरण मंच ने मद्रुरै में अपने राष्ट्रीय सम्मेलन में पास प्रस्ताव में कहा कि उसका मानना है कि भारत में एक मजबूत ई-कॉमर्स नीति होनी चाहिए जो खुदरा कारोबार और छोटे उद्योगों से जुड़े 13 करोड़ लोगों के हितों की रक्षा करेगी। मंच के सह-संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने कहा, 'फिलपकार्ट और अमेजन जैसी ई-कॉमर्स कंपनियां नियमों को दरकिनार कर व्यापारियों खासकर छोटे दुकानदारों, किताब बेचने वालों, दवा की दुकान और अन्य के हितों नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसे देखते हुये भारत में मजबूत ई-कॉमर्स नीति होना चाहिये जो कि इन 13 करोड़ लोगों के हितों की रक्षा करे।' एसजेएम ने कहा कि सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) ई-कॉमर्स कंपनियों के लिये नियम जारी किए हैं जो कि उन्हें उन कंपनियों के उत्पाद बेचने से रोकते हैं, जिनमें उनकी हिस्सेदारी है लेकिन वह फिर भी ऐसा करना जारी रखे हुए हैं।

<https://navbharattimes.indiatimes.com/business/business-news/demand-for-creating-a-strong-ecommerce-policy-of-swadeshi-jagran-manch/articleshow/67642131.cms>

अबू धाबी ने हिंदी को बनाया तीसरी आधिकारिक भाषा

अबू धाबी ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अरबी और अंग्रेजी के बाद हिंदी को अपनी अदालतों में तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल कर लिया है। न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिहाज से यह कदम उठाया गया है। अबू धाबी न्याय



विभाग (एडीजेडी) ने कहा कि उसने श्रम मामलों में अरबी और अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा को शामिल करके अदालतों के समक्ष दावों के बयान के लिए भाषा के माध्यम का विस्तार कर दिया है। इसका मकसद हिंदी भाषी लोगों को मुकदमे की प्रक्रिया, उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में सीखने में मदद करना है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, संयुक्त अरब अमीरात की आबादी का करीब दो तिहाई हिस्सा विदेशों के प्रवासी लोग हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय लोगों की संख्या 26 लाख है, जो देश की कुल आबादी का 30 फीसदी है और यह देश का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है।

एडीजेडी के अवर सचिव युसूफ सईद अल अत्री ने कहा कि दावा शीट, शिकायतों और अनुरोधों के लिए बहुभाषा लागू करने का मकसद प्लान 2021 की तर्ज पर न्यायिक सेवाओं को बढ़ावा देना और मुकदमे की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य यहां काम करने वाले हिंदी भाषियों को मुकदमों की प्रक्रिया सीखने में उनकी मदद करने के साथ-साथ उन्हें सहायता प्रदान करना है।

प्रतिवर्ष विश्वभर में 14 सितंबर को 'हिंदी दिवस' मनाया जा रहा है। हिंदी भाषा की बात ही निराली है, जिसे ना सिर्फ इसे जानने वाले पसंद करते हैं बल्कि विदेशी भी इस भाषा से खासा लगाव रखते हैं। हिंदी भाषा को ऐसी कड़ी माना जाता है जो भारत को किसी भी देश के साथ आसानी से जोड़ने का काम करती है। ये हिंदी भाषा की मिठास ही है कि इसे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चाहने वालों की कमी नहीं है।

गौरतलब है कि 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था उसी समय से हर साल यह दिन 'हिंदी दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

<https://hindi.timesnownews.com/world/article/hindi-to-become-third-language-used-in-abu-dhabi-dubai-court-system/363296>

युवा शक्ति को सृजनात्मक क्षमता बढ़ाकर नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए: कश्मीरीलाल

स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठक श्री कश्मीरीलाल ने कहा कि युवा व विद्यार्थियों को सरकारी व बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नौकरी का लालसा छोड़कर स्वावलंबन व स्वदेशी के विचारों से प्रेरणा लेकर रोजगार प्रदाता बनने पर बल देना चाहिए। कश्मीरी लाल एसीई कोंचिंग (सीकर) में आयोजित स्वदेशी विचारों की प्रासंगिकता विषय पर आयोजित परिचर्चा में बोल रहे थे। प्रांत संयोजक डॉ. शंकरलाल ने कहा कि स्वदेशी संकल्प समय की आवश्यकता है। अध्यक्षता



कर रहे केजीआई अध्यक्ष डॉ. हरिसिंह ने कहा कि स्वदेशी स्वराज की आत्मा है। स्वदेशी देश के विकास, सुरक्षा, स्वाभिमान, व सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए जरूरी है। संचालन जिला संयोजक रामकिशन सैनी ने किया। इस दौरान सह संयोजक दिलीप शर्मा, जिला सह संयोजक अनिल शर्मा, बसंत शर्मा आदि उपस्थित रहे।

<https://www.bhaskar.com/rajasthan/sikar/news/rajasthan-news-youth-power-should-boost-innovation-by-enhancing-creative-power-kashmiri-lal-063702-3858951.html>

सरकारी बैंकों के एनपीए में भारी गिरावट

सरकारी बैंकों के एनपीए में अप्रैल-दिसंबर तिमाही के दौरान गिरावट देखने को मिली है। इस अवधि के दौरान यह 31,000 करोड़ रुपये से ज्यादा कम होकर 8,64,433 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। यह आंकड़ा चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 9 महीनों का है। यह जानकारी खुद केंद्र सरकार ने दी है। वित्तमंत्री शिवप्रताप शुक्ला ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान बैंकों का नॉन परफार्मिंग एसेट्स (एनपीए) या बैड लोन 8,95,601 करोड़ रुपये रहा था। उन्होंने कहा, 'जून 2018 तक बैड लोन गिरकर 8,75,619 करोड़ रुपये और दिसंबर 2018 में 8,64,433 करोड़ रुपये हो गया।'

शुक्ला ने कहा कि वर्तमान में सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के निजीकरण के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 की अप्रैल दिसंबर तिमाही के दौरान बैड लोन 31,168 करोड़ रुपये कम हो गया, जबकि मार्च 2018 तक यह एनपीए 8,95,601 करोड़ रुपये रहा था। शुक्ला ने कहा कि पहचान, संकल्प, पुनर्पूजीकरण और सुधारों की 4आर रणनीति के परिणामस्वरूप एनपीए में गिरावट आई। आरबीआई के इनपुट्स के मुताबिक, स्ट्रेस्ड एसेट्स में तेजी के प्रमुख कारणों में हड़बड़ी में लोन देने की प्रथा, विलफुल डिफॉल्ट या लोन फ्रॉड या कुछ मामलों में भ्रष्टाचार और आर्थिक सुस्ती प्रमुख है। उन्होंने आगे कहा कि एसेट क्वालिटी रिव्यू की शुरुआत वर्ष 2015 में साफ सुथरी और पूरी तरह से प्रावधानित बैंक बैलेंस-शीट के लिए की गई थी जिसके जरिए

एनपीए की बड़ी घटनाओं के बारे में जानकारी हासिल हुई।

<https://www.jagran.com/business/biz-psb-npas-drop-31000-crore-rupee-in-apr-dec-fy19-18935064.html>

किसानों को नहीं रुलाएगा प्याज

फसल की उचित कीमत नहीं मिलने की समस्या से जूझ रहे प्याज किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट ने मर्चेन्डाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (MEIS) के तहत प्याज किसानों को इंटररेस्ट सब्सिडी 5 फीसदी से बढ़ाकर 10 फीसदी करने के फैसले पर मुहर लगा दी। इससे किसानों को घरेलू मार्केट में प्याज की अच्छी कीमत मिलेगी। गौरतलब है कि नई फसल की आमद बढ़ने से प्याज की कीमतें खासी गिर गई हैं। इससे किसानों को अपनी फसल की लागत भी नहीं मिल पा रही थी। हालात को काबू में करने के लिए सरकार ने प्याज के निर्यात को प्रोत्साहन देने का फैसला किया है, जिससे घरेलू मार्केट में कीमतों में भी स्थिरता आएगी।



सरकार ने कहा कि कैबिनेट ने एमईआईएस स्कीम के अंतर्गत प्याज पर एक्सपोर्ट इंसेंटिव दोगुना बढ़ाकर 5 फीसदी से 10 फीसदी करने के फैसले पर मुहर लगा दी है। जुलाई, 2018 से पहले ताजी प्याज पर एक्सपोर्ट इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा था। जुलाई, 2018 के दौरान 5 फीसदी के एक्सपोर्ट इंसेंटिव लागू किया गया। अब इस बढ़ोतरी के साथ प्याज पर एग्री-एक्सपोर्ट इंसेंटिव सबसे ज्यादा हो गया है। सरकार द्वारा जारी बयान के मुताबिक, इस इंसेंटिव से किसानों को अपनी फसल की बेहतर कीमत पाने में मदद मिलेगी।

<https://money.bhaskar.com/news/MON-MARK-COMM-AGR-MRKT-govt-doubles-export-incentive-on-onion-to-shore-up-prices-6001026-NOR.html>

ब्याज दरों में कटौती से मध्यवर्ग और किसानों को बड़ी राहत

लोन की ईएमआई चुकाने वाले देश के मिडिल क्लास को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ब्याज दरों में कटौती कर बड़ी राहत दे दी है। आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की है, इसके बाद यह 6.25 फीसद के स्तर

पर आ गई है। छोटे किसानों तक वित्त की पहुंच आसान बनाने के लिए केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंकों की ओर से दिए जाने वाले वैसे कर्ज की सीमा को एक लाख से बढ़ाकर 1.6 लाख किया जाएगा, जिसके लिए किसानों को कुछ बंधक नहीं रखना होता है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई में हुई समीक्षा बैठक के बाद आरबीआई ने रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती करते हुए इसे 6.25 फीसद कर दिया है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने अपने मौद्रिक रुख को "सख्त" से बदलकर "सामान्य/न्यूट्रल" कर दिया है। केंद्रीय बैंक के इस कदम से खपत बढ़ सकती है, विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक विकास दर को बढ़ावा मिलेगा।

<https://www.jagran.com/business/biz-middleclass-and-farmers-got-a-respite-from-rbi-rate-cut-18929043.html>

मिलावटी डिब्बाबंद दूध से बच्चों में बढ़ा कैंसर का खतरा

अधिकतर माएं अपने बच्चों को बाजार का डिब्बाबंद दूध पिलाती हैं, जिनके बारे में दावा किया जाता है कि वे बच्चों के विकास में सहायक हैं। अब उन्हीं डिब्बाबंद दूध के ब्रांड्स के बारे में चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। डॉक्टरों का कहना है कि डिब्बाबंद दूध के चलते बच्चों को 'डेवलपमेंट डिसऑर्डर' होने का खतरा रहता है।



आईएनएस की खबर के मुताबिक डॉक्टरों के मुताबिक नवजात या कम उम्र के बच्चों के लिए मिलावटी या पैकेट में बंद दूध बहुत नुकसानदायक है। बच्चों का शरीर प्रीमैच्योर होता है और मिलावट का उनके शरीर पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। खासतौर से उनके मस्तिष्क, गुर्दे और लिवर पर इसका असर होता है। मिलावटी दूध के चलते बच्चों के इन अंगों के विकास में बाधा आ सकती है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के अध्ययन में सामने आया कि देश में जो दूध बिकता है उसमें से 10 फीसदी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसमें यूरिया, वनस्पति तेल, ग्लूकोज व अमोनियम सल्फेट मिलाया जाता

है जिससे इसकी मात्रा अधिक दिखे। इसके अलावा दूध में एंटीबायोटिक्स, कीटनाशक और एपलाटॉक्सिन एम1 रसायन की मिलावट भी की जाती है। इन चीजों से दूध में बैक्टीरिया समेत कई तरह के कीटाणु पनपने लगते हैं। बैक्टीरियल कंटैमिनेशन वाला दूध पीने से लोगों को फूड पॉइजनिंग, पेट दर्द, आंतों की सूजन जैसे इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। मिलावटी दूध में ऐसे केमिकल्स की भी मिलावट की जाती है जो कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं, यानी जिनसे कैंसर होने की संभावना हो सकती है। अगर लगातार 10 साल तक ऐसे दूध का सेवन किया जाए तो कैंसर जैसे गंभीर रोग हो सकते हैं।

https://money.bhaskar.com/news/MON-MARK-COMM-AGR-ECNM-packaged-milk-not-safe-for-children-5986197-PHO.html?sld_seq=1

स्टार्टअप को 25 करोड़ रुपये तक के निवेश पर मिलेगी टैक्स छूट

केंद्र सरकार स्टार्टअप को एंजेल टैक्स से राहत देने के लिए 25 करोड़ रुपये तक के निवेश को टैक्स के दायरे से बाहर करने की तैयारी कर रही है। सरकार ने पिछले साल दस करोड़ रुपये तक निवेश वाले स्टार्टअप को ही एंजेल टैक्स पर रियायत दी थी। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने हाल ही में स्टार्टअप पर एंजेल टैक्स से जुड़े मुद्दे के मामले में कई बैठकें की हैं। सूत्रों ने कहा कि सरकार एंजेल टैक्स से छूट की सीमा बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये तक कर सकती है।

सीबीडीटी चेयरमैन सुशील चंद्रा ने हाल ही में कहा था कि उन्हें स्टार्टअप को टैक्स छूट के संबंध में कई सुझाव मिले हैं। हाल ही में आयकर विभाग से स्टार्टअप को टैक्स चुकाने के लिए नोटिस मिले हैं। एंजेल टैक्स के तहत बाजार मूल्य से अधिक कोष जुटाने पर स्टार्टअप से 30% टैक्स चुकाने को कहा गया है। नए उद्यमियों का कहना है कि इससे निवेश में रुकावट आ रही है और निवेशक भी हाथ खींच रहे हैं। पिछले माह केंद्र ने स्टार्टअप को कर छूट के मामले में विभागों से 45 दिन के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया।

<https://www.livehindustan.com/business/story-startup-soon-get-tax-deduction-benefit-2399066.html>

दुनिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट

देश का पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम दुनिया का पहला पूरी तरह से ऑर्गेनिक राज्य बन गया है। लंबे समय से यहां खेती व रोजगार को लेकर सरस्तेनेबल नीतियों का पालन हो रहा था। हाल में संयुक्त राष्ट्र ने राज्य की इन कोशिशों को सम्मान देते हुए 'Oscar for the Best Policy' अवॉर्ड से नवाजा। सिक्किम ने 25 देशों के 51 राज्यों को पछाड़कर यह सम्मान पाया। अब देश के अन्य राज्यों के अलावा

दुनियाभर के देश भी सिक्किम से यह कला सीख रहे हैं।

2003 से सिक्किम ने टिकाऊ यानी सस्टेनेबल बनने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। यहां पर ऊंचे नीचे मैदान और खेती के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों के चलते पारंपरिक तरीकों से खेती करना संभव नहीं हो पा रहा था। ऐसे में सिक्किम सरकार ने ऑर्गेनिक पद्धति की ओर रुख किया। इसके तहत ऐसे जमीनों का भी इस्तेमाल किया गया जो अब तक बेकार पड़ी थीं। लगातार कोशिशों के बाद 2015 में यह राज्य पूरी तरह से ऑर्गेनिक बन गया।

सिक्किम में ऐसे कई बायो-विलेज हैं जहां खाद और बायो-पेस्टीसाइड बनाने के लिए माइक्रोऑर्गेनिज्म टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। यहां के खेतों में कंचुआ खाद और कंपोस्ट पिट में बनी खाद लगाई जाती है। खेतों में बोए जाने वाले बीज भी ऑर्गेनिक होते हैं। यहां पर हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जो देश के अन्य भागों में इस्तेमाल होता है। यहां की 'Seed Village Scheme' के जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि खेतों में वहीं के हाई-क्वालिटी बीज बोए जा रहे हैं। यह बीज ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें, इसके लिए समय-समय पर राज्य सरकार मिट्टी की गुणवत्ता जांचती रहती है।

राज्य ने यह उपलब्धि एक रात में हासिल नहीं की। इसका सबसे अहम पहलू रहा, लोगों को ऑर्गेनिक खेती के बारे में जागरूक करना। 2003 में सिक्किम ने इस दिशा में कदम बढ़ाने शुरू किए तो केमिकल कंपनियों और विपक्षी पार्टियों ने इसका खूब विरोध किया। लेकिन लगातार कोशिशों के दम पर सिक्किम ने यह मुकाम हासिल कर ही लिया। अब अन्य पूर्वोत्तर राज्य भी सिक्किम के कदमों पर चलते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ऑर्गेनिक खेती की ओर मुड़ रहे हैं।

फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की डिप्टी डायरेक्टर मारिया हेलेना सेमेदो के मुताबिक सिक्किम सरकार ने जो नई नीतियां बनाई उनकी वजह से यहां के 66,000 से भी ज्यादा किसानों को लाभ पहुंचा है। यहां सिर्फ खाद्य सुरक्षा पर ही ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि राज्य की फूड पॉलिसीज पर्यटन, बाजार, घरेलू उपभोग और विकास जैसे सामाजिक-आर्थिक पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए खेती के प्रति समग्र नजरिया लेकर चलते हैं।

<https://money.bhaskar.com/news/MON-MARK-COMM-AGR-ECNM-sustainable-farming-in-sikkim-5975622-PHO.html>

दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी कंज्यूमर देश बना भारत

सरकार की प्रत्येक परिवार को स्वच्छ रसोई गैस ईंधन उपलब्ध कराने की पहल से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता बन गया है। पेट्रोलियम सचिव एम



एम कुट्टी ने मंगलवार को कहा कि देश में एलपीजी की मांग 2025 तक 34 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। एशिया एलपीजी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कुट्टी ने कहा कि एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या में सालाना आधार पर 15 प्रतिशत वृद्धि हुई है। वर्ष 2014-15 में एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या 14.8 करोड़ थी जो 2017-18 में बढ़कर 22.4 करोड़ हो गई।

उन्होंने कहा कि जनसंख्या में तेज वृद्धि तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी पहुंच बढ़ने से एलपीजी उपभोग में औसतन 8.4 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इससे 2.25 करोड़ टन के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता बन गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुमान के अनुसार 2025 तक एलपीजी उपभोग बढ़कर 3.03 करोड़ टन पर पहुंच जाएगा। 2040 तक यह आंकड़ा 4.06 करोड़ टन होगा।

कुट्टी ने कहा कि सरकार ने देशभर में एलपीजी के उपभोग को प्रोत्साहन देने के लिए कई कदम उठाए हैं। विशेषरूप से ग्रामीण परिवारों में एलपीजी उपभोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ग्रामीण परिवार परंपरागत ईंधन पर निर्भर रहते हैं जो उनकी सेहत को तो नुकसान पहुंचाता ही है साथ ही इससे प्रदूषण भी बढ़ता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत 6.31 करोड़ कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। यह योजना एक मई, 2016 को शुरू हुई थी।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि उज्ज्वला योजना मई, 2016 में शुरू हुई थी। इसके तहत तीन साल में पांच करोड़ गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत अब तक छह करोड़ गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन दिया जा चुका है और अब 2020 तक आठ करोड़ कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधान ने कहा कि देश में एलपीजी की पहुंच 90 प्रतिशत पर पहुंच गई है। यह संख्या 2014 में 55 प्रतिशत थी। उन्होंने कहा कि हमें आठ करोड़ के अपने लक्ष्य को हासिल कर लेने की उम्मीद है। □□

<https://www.jansatta.com/business/modi-govts-ujjwala-push-helps-india-become-worlds-2nd-largest-lpg-consumer/903303/>

बजट-2019: एक नजर में

- पांच लाख रु. तक की आय पर कर में पूरी छूट, अधिक मानक कटौती का प्रस्ताव।
- लघु और मध्यम वर्ग के करीब 3 करोड़ करदाताओं को 23,000 करोड़ से अधिक की राहत।
- छोटे एवं सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की न्यूनतम सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना।
- 15,000 रुपए तक की मासिक आय वाले कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन वृहद पेंशन योजना।
- बैंक और डाकघर के बचत खातों में जमा पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस की सीमा अब 40,000 रुपए।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) नियम के तहत पात्रता 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपए प्रतिमाह वेतन।
- सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा।
- श्रमिकों की न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रु. तक की गई।
- पशुपालन के लिए किसानों को कर्ज पर 2 प्रतिशत ब्याज सहायता।
- मार्च 2019 तक सभी घरों को मिल जाएगी बिजली।
- अगले पांच वर्ष में एक लाख गांव बनेंगे डिजिटल।
- सरकार पेट्रोलियम और गैस क्षेत्र में खोज के संबंध में अंतर मंत्रालय समिति की गई अनेक सिफारिशें लागू।
- रक्षा बजट बढ़कर 3,05,296 करोड़ रुपए।
- रेलवे के लिए 64,587 करोड़ रुपए आवंटित।
- बड़ी लाइनों वाले नेटवर्क पर सभी मानवरहित लेवल क्रॉसिंग समाप्त किए गए।
- महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए 1,330 करोड़ रु.
- सरकार ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए कई उपाय किए।
- नीति आयोग के तहत समिति का गठन किया जाएगा, जो गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू को औपचारिक रूप से वर्गीकृत करेगी।
- सभी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों तक जीईएम प्लेटफॉर्म का विस्तार।
- सरकारी उपक्रमों द्वारा महिलाओं के स्वामित्व वाले लघु एवं मध्यम उद्यमों से निर्धारित अनुपात में सामग्रियों की खरीद की जाएगी।
- 'मुद्रा योजना' के तहत 7,23,000 करोड़ रुपए के 15.56 करोड़ ऋण का वितरण हुआ।
- कृत्रिम मेधा (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) पर राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने की परिकल्पना।
- राजकोषीय घाटा कम होकर 3.4 प्रतिशत पर, औसत मुद्रास्फीति 4.6 प्रतिशत।
- पांच वर्षों में एफडीआई 239 अरब डॉलर, बैंकों को तीन लाख करोड़ रुपए ऋण का भुगतान प्राप्त हुआ।
- इस वर्ष कर वसूली 2013-14 के 6.38 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 12 लाख करोड़ रुपए।
- कर आधार में 80 प्रतिशत वृद्धि, रिटर्न के दाखिले की संख्या 3.79 करोड़ से बढ़कर 6.85 करोड़ हुई।
- 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क और प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाया जाएगा।
- निर्यात तंत्र में सुधार के लिए आरएफआईडी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल।
- कालेधन के खिलाफ उठाए गए कदमों से 1.30 लाख करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चला।
- 6,900 करोड़ रु. की बेनामी परिसंपत्तियों और 1,600 करोड़ रु. की विदेशी परिसंपत्तियों की जब्ती।
- वित्त वर्ष 2017-18 में प्रत्यक्ष कर संग्रहण में 18 प्रतिशत की वृद्धि, नोटबंदी के कारण पहली बार 1.06 करोड़ लोगों ने आयकर दाखिल किया।
- बैंकों के राष्ट्रीयकरण की आधी सदी के बाद जेएएम-डीबीटी ने दूरगामी परिवर्तन किए हैं।
- पिछले पांच वर्षों के दौरान जन धन योजना के तहत 34 करोड़ नए बैंक खाते खोले गए।
- वर्ष 2019-20 में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए अवसंरचना आवंटन 21 प्रतिशत बढ़ाकर 58,166 करोड़ रुपए।
- विदेशी फिल्म निर्माताओं की तरह भारतीय फिल्म निर्माताओं को भी एकल खिड़की मंजूरी।
- पायरेसी को रोकने के लिए सिनेमेटोग्राफ अधिनियम को संशोधित किया जाएगा।
- राष्ट्रीय शिक्षा योजना के लिए आवंटन 32,334 करोड़ रुपए से बढ़कर 38,570 करोड़ रुपए।
- सरकारी उद्यमों की कुल खरीद में छोटे उद्यमों से आपूर्ति को बढ़ाकर 25 प्रतिशत।
- 'वन रैंक, वन पेंशन' के तहत मौजूदा सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए।
- सरकार पेट्रोलियम और गैस क्षेत्र में खोज के संबंध में अंतर मंत्रालय समिति की गई अनेक सिफारिशों को लागू करेगी।□□

स्वदेशी गतिविधियां 13वां राष्ट्रीय सम्मेलन

18-20 जनवरी 2019 (मदुरै, तमिलनाडू)

सचित्र झलकियां



डॉ. अश्वनी महाजन प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए



सांस्कृतिक कार्यक्रम

राष्ट्रीय परिषद बैठक

17 जनवरी 2019 (मदुरै, तमिलनाडू)

सचित्र झलकियां



श्री अरुण ओझा व श्री सतीश कुमार स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय परिषद को संबोधित करते हुए

स्वदेशी गतिविधियाँ 13वां राष्ट्रीय सम्मेलन

18-20 जनवरी 2019 (मदुरै, तमिलनाडू)

सचित्र झलकियाँ



श्री श्री रविशंकर महाराज जी व स्वदेशी जागरण मंच के पदाधिकारियों द्वारा पुस्तक विमोचन



स्वदेशी जन-जागरण रैली



स्वदेशी जन सभा व उपस्थित प्रतिभागी

प्रकाशक व मुद्रक ईश्वरदास महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर-8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली-110022 से प्रकाशित, संपादक: अजेय भारती